

# उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय, बागेश्वर।

Email- [artobag-trans-uk@nic.in](mailto:artobag-trans-uk@nic.in)

पत्र संख्या:- 858 / सामा0 प्रशा0/भूमि चयन/2022-23

दिनांक 29 -12 -2022।

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,  
बागेश्वर।

विषय- जनपद- बागेश्वर के अंतर्गत परिवहन विभाग के कार्यालय, आवासीय भवन, ड्राईविंग टेस्टिंग ट्रैक तथा ट्रैफिक अवेयरनेस सेंटर के निर्माण हेतु 0.74 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु उत्तराखण्ड परिवहन विभाग को प्रत्यावेदन। (Online no. [FP/UK/other/156508/2022](#))

महोदय,

उपर्युक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सादर अवगत करना है कि उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय, बागेश्वर के कार्यालय भवन निर्माण तथा ट्रैफिक अवरनेस सेंटर /ऑटोमेटेड ड्राईविंग टेस्ट ट्रैक के निर्माण हेतु ग्राम गाडगाँव में चिन्हित 0.74 हे0 भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या [FP/UK/other/156508/2022](#) पर भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय- देहरादून द्वारा विचारोपरान्त पॉच त्रुटियां पाई गई थी।

उपर्युक्त त्रुटियों के निराकरण की आख्या 46 पृष्ठ प्रेषित है।

संलग्नक- पृष्ठ 01 से 26 आपत्ति निराकरण प्रपत्र तथा पृष्ठ 27 से 46 सम्बन्धित सलग्नको की प्रतिलिपिया

भवदीय,


  
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी  
बागेश्वर

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,  
बागेश्वर।

संख्या ( )/उक्तदिनांकित्।

प्रतिलिपि निम्नांकित को -

1	सहायक महानिरीक्षक, (वन) भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय- देहरादून, 25 सुमाच रोड, देहरादून-248001	उपर्युक्त EDS Query Resolution सम्बन्धी पृष्ठ संख्या 01 से 25 तक की एक प्रति तथा 1500 वृक्षों के वृक्षारोपण हेतु चिन्हित की गई 1.5हे0 भूमि के सम्बन्ध में KML File, Georeference Map, Toposheet, की सी0डी0 की एक प्रति अग्रिम रूप से सादर प्रेषित है।
2	संयुक्त परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।	EDS Query Resolution संख्या 05 के सम्बन्ध में महोदय के अनुमादन पत्राक पत्रांक 4574/नियोजन /13-70/2022 दिनांक 12-12-2022 के सम्बन्ध में सादर प्रेषित।
3	सम्भागीय परिवहन अधिकारी महोदय,	प्रतिलिपि प्रशासन, अल्मोड़ा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

  
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,  
बागेश्वर।

-: जनपद बागेश्वर में नगरपालिका बागेश्वर के अन्तर्गत चण्डिका वार्ड के गाडगॉव में परिवहन विभाग हेतु :-  
1. अन-आवासीय कार्यालय भवन, 2. ऑटोमेटेड ड्राइविंग टैस्टिंग ट्रैक तथा 3 ट्रैफिक अवेयरनेस सेंटर का निर्माण

Quiry number	Quiry Raised	Quiry Resolution.
1	<p>The proposed construction of Office Proposal is a Non Site Specific.</p> <p>Hence the Proponent shall provide justification to establish its INESCAPABILITY for location the project in the FOREST AREA.</p> <p>The Details of the alternatives examined shall also be submitted.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>INESCAPABILITY</b> for location the project in the Forest Area के सम्बन्ध में प्रस्तुत करना है कि वर्ष, 2007 से जनपद तथा कार्यालय स्थापना हेतु लगातार प्रयास किये गए। पूर्व में कार्यालय के केवल भवन निर्माण हेतु 0.40 है0 आरक्षित वन भूमि का प्रस्ताव भेजा गया था। जिसको अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षक देहरादून के पत्रांक 2825/वन/जी- 3256 बागे0 दिनांक 07-05-2015 मैरिट के आधार पर आरक्षित वन भूमि होने के कारण निरस्त करते हुए निर्देशित किया गया था कि आरक्षित वन भूमि के स्थान पर अन्य भूमि में समूचित नया प्रस्ताव तैयार कर ऑनलाईन प्रेषित किया जाए। उक्त आदेशों के कम में यह नया प्रस्ताव ( सिविल सोयम 0.42 है0 तथा वन पंचायत भूमि 0.32 है0 कुल 0.74 है0) तैयार किया गया है।</li> <li>• उक्त के पश्चात वर्ष, 2018 से कार्यालय भवन के साथ -2 ट्रैफिक अवेयरनेस सेंटर तथा ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट हेतु भी भूमि चयन के निर्देश प्राप्त होने के परिणामस्वरूप नए सिरे से भूमि चयन एवं हस्तांतरण हेतु जिला प्रशासन परिवहन विभाग तथा नगर पालिका द्वारा सघन प्रयास प्रारम्भ किए गए परन्तु आवश्यक तथा उचित प्रकार की भूमि उपलब्ध नहीं हो पायी।</li> <li>• अन्ततः परिवहन प्रशासन और नगर पालिका के संयुक्त प्रयासों द्वारा वर्ष 2020 में वर्तमान प्रस्तावित स्थल पर भूमि चिन्हित की गयी।</li> <li>• परियोजना को उक्त चिन्हित भूमि पर ही स्थापित किये जाने की <b>INESCAPABILITY</b> के सम्बन्ध में पुनः प्रस्तुत करना है कि जनपद मे तथा विशेषकर जनपद मुख्यालय, जो कि जन सुविधा के दृष्टिगत परियोजना निर्माण हेतु एकमात्र उपयुक्त स्थल है तथा जहाँ पर उक्त परियोजना स्थापित की जा सकती है, में अन्य कही भी उचित तथा पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं है अथवा कोई भी वैकल्पिक संरक्षण उपलब्ध नहीं है। इस सम्बन्ध में पूर्व में मूल प्रस्ताव के साथ प्रपत्र 11 (वन भूमि की मांग का पूर्ण औचित्य) संलग्न किया गया है। प्रतिलिपि संलग्न है।</li> <li>• <b>Details of the alternatives examined</b> के सम्बन्ध में प्रस्तुत करना है कि उपर्युक्तानुसार परिवहन, प्रशासन के संयुक्त प्रयासों के पश्चात भी जनपद में कोई भी अन्य विकल्प/अन्य वैकल्पिक पर्याप्त तथा उचित भूमि उपलब्ध नहीं हो पाई है।</li> </ul> <p><u>इस सम्बन्ध में पूर्व में मूल प्रस्ताव के साथ प्रपत्र 13, (विभिन्न विकल्पों का तुलनात्मक विवरण का प्रमाण पत्र) तथा प्रपत्र 14 (वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र ) संलग्न किया गये है। प्रतिलिपि संलग्न है।</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• अतः उपर्युक्त के दृष्टिगत वर्तमान प्रस्तावित कुल 0.74 है0 भूमि (जो वर्तमान में नगरपालिका परिषद के क्षेत्रान्तर्गत 0.32 है0 वन पंचायत के रिकार्ड में एवं 0.42 है0 सिविल सोयम भूमि के रूप में दर्ज,) पर ही परियोजना का निर्माण किया जाना सम्भव है।</li> </ul>
2	<p>The Components as shown in the component wise breakup required to be clearly mentioned in the layout plan along with the details of their dimensions.</p> <p>Further, a large area is kept as SETBACK area without any specific purpose which can be minimised and the total forest land requirement can be reduced considerably.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• महोदय इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ले-ऑउट प्लान को संशोधित कर संलग्न कर दिया गया है। (प्रपत्र 32.1}</li> <li>• उक्त हेतु परियोजना के तीनों भागों का उनके सभी घटकों को प्रदर्शित करते हुए ले-ऑउट प्लान भी संलग्न कर दिया गया है। (प्रपत्र 32.2,32.3, 32.4 }</li> <li>• संशोधित ले ऑउट प्लान में सभी विमाओं (Dimensions) सहित कम्पाटमेन्ट के अनुसार ब्रैक अप को दर्ज कर दिया गया है।</li> <li>• पूर्व में प्रदर्शित लार्ज सेट बैक एरिया के सम्बन्ध में प्रस्तुत करना है कि पूर्व में ले आउट प्लान स्केल्ड न होने तथा सभी भागों को पूर्णतया प्रदर्शित न किये जाने का कारण उक्त ले आउट प्लान में <b>large SETBACK area</b> प्रदर्शित हो रहा था। वर्तमान में संलग्न संशोधित ले आउट प्लान उचित स्केल/मानक पर बनाया गया है तथा उक्त संशोधित ले आउट न्यूनतम आवश्यकताओं के दृष्टिगत चयनित किया गया है।</li> <li>• अतः वर्तमान में संशोधित ले-ऑउट के अनुरूप वास्तव में परियोजना स्थल पर</li> </ul>

सहायक सम्पदा विकास अधिकारी  
नगरपालिका

	<p>The State Government is requested to minimize the requirement for each component and revise the layout plan accordingly.</p>	<p>केवल पर्याप्त तथा अतिआवश्यक अपरिहार्य <b>SETBACK</b> area ही अस्तित्व में है। वर्तमान में प्रदर्शित वास्तविक सेट बैक एरिया या परियोजना के किसी अन्य भाग के क्षेत्रफल को न्यून करना सम्भव ही नहीं है।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>परियोजना हेतु प्रस्तावित भूमि अति आवश्यक अपरिहार्य तथा न्यूनतम है इस सम्बन्ध में प्रपत्र 11,13 तथा 14 मूल प्रस्ताव में संलग्न किये जा चुके हैं।</li> </ul>
<p>3</p>	<p>A plantation scheme of for 1500 plants with the details of <u>area</u>, <u>KML</u>, and other necessary documents shall be submitted.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1500 वृक्षों के प्लानटेशन स्कीम हेतु प्रभागीय वनाधिकारी महोदय, बागेश्वर द्वारा आरक्षित वनक्षेत्र छत्तीना कक्ष संख्या -04 में कुल रोपण क्षेत्रफल 1.5 है० भूमि चिन्हित करते हुए उपलब्ध कराई गई के०एम०एल० फाईल, जियो रिफेन्स मैप एवं टोपों सीट की सी०डी० संलग्न कर प्रेषित है।</li> <li>उक्त हेतु वन भूमि के सापेक्ष 1500 वृक्षों के प्लानटेशन स्कीम हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रपत्र 43.1 के रूप में तथा वृक्षारोपण कार्य का विवरण प्रपत्र 43.2 के रूप में संलग्न है।</li> </ul>
<p>4</p>	<p>The location of 21 trees shall be marked on the lay out plan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ले-आउट प्लान में 21 वृक्षों की लोकेशन को प्रदर्शित कर प्रपत्र 32.6 के रूप में संलग्न है।</li> </ul>
<p>5</p>	<p>State Government is requested to provide the specific norms for the lay Out and Dimentions of the prosed activity duly approved by the concerned authority.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>महोदय specific norms for the lay Out and Dimentions के सम्बन्ध में प्रस्तुत करना है कि उक्त उक्त परियोजना हेतु किसी निर्धारित lay Out and Dimentions का प्राक्धान नहीं है। अपितु परियोजना का निर्माण कार्यालय में सम्पन्न किये जाने वाले जन कार्य हेतु भूमि की आवश्यकता तथा चिन्हित स्थल की भौगोलिक दशा के अनुरूप ले-आउट तैयार तथा निर्माण कार्य किया जाता है।</li> <li>महोदय,चिन्हित भूमि पर तीन परियोजनाओं तीन भाग का निर्माण निम्नानुसार किया जाना है।             <ol style="list-style-type: none"> <li>प्रथम भाग-                     <ul style="list-style-type: none"> <li>अर्थात् कार्यालय भवन/परिसर तथा उसके घटकों के निर्माण सम्बन्धी <b>specefic norms for lay out Dimenstions</b> के सम्बन्ध में प्रस्तुत करना है कि उक्त परियोजना हेतु किसी निर्धारित lay out Dimenstion का प्राक्धान नहीं होता है। अपितु इसका निर्माण कार्यालय में किये जाने वाले जन कार्य की आवश्यकता के दृष्टिगत किया जाता है।</li> <li>कार्यालय परिसर निर्माण हेतु संशोधित lay out तथा Dimentions प्रपत्र 32.1, 32.2 में प्रदर्शित कर संलग्न कर दिये गए हैं।</li> <li>उक्त lay out प्लान में दर्शित कार्यालय भवन तथा उसके अन्य घटकों की निर्माण तथा भूमि की आवश्यकता को Lay Out प्रपत्र 32.1 तथा 32.2 के साथ संलग्न <u>Lay Out - विस्तृत विवरण</u> में पूर्ण रूप से दर्शा दिया गया है।</li> </ul> </li> <li>द्वितीय भाग-                     <ul style="list-style-type: none"> <li>परियोजना के द्वितीय भाग के रूप में बन्द वाहनों हेतु अभिरक्षा भवन <b>coencelleing</b> हॉल एवं सभागार कक्ष के रूप में टफिक अवेरनेस सेन्टर का निर्माण किया जाना है। उक्त के <b>specefic norms for lay out / Dimentions</b> के सम्बन्ध में प्रस्तुत करना है कि उक्त परियोजना हेतु भी किसी निर्धारित lay out / Dimenstion का प्राक्धान नहीं होता है। अपितु इसका निर्माण भी कार्यालय में बन्द किये जाने वाले वाहनों, चालकों की प्रदान की जाने वाली काउन्सलिंग आदि की आवश्यकता के दृष्टिगत किया जाता है।</li> <li>टफिक अवेरनेस सेन्टर निर्माण हेतु संशोधित lay out/ Dimentions प्रपत्र 32.3 में प्रदर्शित कर संलग्न कर दिये गए हैं।</li> <li>उक्त lay out प्लान में दर्शित टफिक अवेरनेस सेन्टर तथा उसके अन्य घटकों की निर्माण तथा भूमि की आवश्यकता को Lay Out प्रपत्र 32.3 के साथ संलग्न <u>Lay Out - विस्तृत विवरण</u> में पूर्ण रूप से दर्शा दिया गया है।</li> </ul> </li> <li>तृतीय भाग-                     <ul style="list-style-type: none"> <li>परियोजना के तृतीय भाग में 4000 वर्ग मीटर (0.40 है०) भूमि पर दो पहिया तथा चार पहिया ड्राइविंग टेस्टिंग टैक का निर्माण किया जाना है।</li> <li>उक्त हेतु भी संशोधित lay out/ Dimentions प्रपत्र 32. 4 में प्रदर्शित कर संलग्न कर दिये गए हैं।</li> <li>उक्त lay out प्लान में दर्शित ड्राइविंग टेस्टिंग टैक तथा उसके अन्य घटकों की निर्माण तथा भूमि की आवश्यकता को Lay Out प्रपत्र 32.4 के साथ <u>संलग्न Lay Out - विस्तृत विवरण</u> में पूर्ण रूप से दर्शा दिया गया है।</li> </ul> </li> </ol> </li> </ul>

सहायक सचिव (पर्यावरण एवं वन) महोदय  
 राज्य सरकार, जयपुर



		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों के अनुपालन में यह डाईविंग टैस्टिंग ट्रैक का निर्माण प्रत्येक कार्यालय में किया जाना है।</li> <li>○ मुख्यालय कार्यालय द्वारा उनके पत्रांक 5345/नियोजन /13-113 /2017 दिनांक 26-08-2017 से प्रारम्भ करते हुए वर्तमान तक अपने विभिन्न पत्रों द्वारा जनपद बागेश्वर में ऑटोमेटेड डाईविंग टैस्टिंग ट्रैक हेतु लगभग 4000 वर्ग मीटर भूमि चयन हेतु निर्देशित किया गया है।</li> <li>○ इस भाग हेतु 4000 वर्ग मीटर (0.40 है0) भूमि की आवश्यकता उपर्युक्तानुसार स्वतः स्पष्ट है।</li> </ul> <p>❖ अतः महोदय से अनुरोध है कि उक्त परियोजना हेतु निर्धारित lay out / Dimenstion का प्रावधान नहीं है। परियोजना का निर्माण किये जाने वाले कार्यों हेतु परियोजना की आवश्यकता, भौगोलिक दशा के अनुरूप किया जाना होता है। परियोजना की आवश्यकतानुसार ही संशोधित ले-ऑउट प्लान तैयार कर प्रपत्र 32.1, 32.2, 32.3, 32.4 के रूप में दर्शाते हुए परियोजना के प्रत्येक घटक का विवरण प्रदर्शित कर lay out के साथ संलग्न विस्तृत विवरण में दिया गया है।</p> <p>अतः महोदय से अनुरोध है कि संशोधित ले-ऑउट प्लान तथा संलग्न विस्तृत विवरण के अनुसार परियोजना के भाग 01 तथा भाग 02 क्रमशः कार्यालय परिसर तथा टैफिक अवेयरनेस सेन्टर हेतु कुल 0.34 है0 भूमि तथा परियोजना के भाग 03 डाईविंग टैस्टिंग ट्रैक हेतु उपर्युक्तानुसार कुल 0.40 है0 भूमि, इस प्रकार परियोजना की कुल भूमि 0.74 है0 न्यूनतम आवश्यक एवं अपरिहार्य है।</p> <p style="text-align: center;"><b><u>Lay Out and Dimentions of the proposed activity duly approved by the concerned authority</u></b> के सम्बन्ध में आपपित संख्या 05 के उपर्युक्त समाधान / निराकरण प्रस्ताव को परिवहन आयुक्त कार्यालय, देहरादून उत्तराखण्ड, द्वारा उनके पत्रांक 4574/नियोजन /13-70/2022 दिनांक 12-12-2022 के द्वारा अनुमोदित किया गया है। प्रतिलिपि संलग्न।</p>
--	--	--

- उपर्युक्तानुसार प्रस्तावित परियोजना के तीनों भागों हेतु कुल 0.74 है0 भूमि न्यूनतम एवं अपरिहार्य है।
- जनपद में कोई भी विकल्प /अन्य वैकल्पिक पर्याप्त तथा उचित भूमि की उपलब्ध नहीं है।
- उपर्युक्त के दृष्टिगत महोदय से सादर अनुरोध है कि प्रस्तावित भूमि को प्रस्तावक विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित करने की कृपा करें।

  
 सहायक आयुक्त, परिवहन विभाग, देहरादून  
 बागेश्वर


परियोजना के संशोधित ले-आउट प्लान का संक्षिप्त विवरण

महोदय प्रस्तुत करना है कि प्रस्तावित परियोजना में तीन उप परियोजनाएं सम्मिलित हैं प्रथमतः कार्यालय अनआवासीय भवन द्वितीयतः ट्रेफिक अवेसरनेस सेन्टर तथ तृतीयतः ऑटोमैटेड ड्राइविंग टैस्टिंग ट्रेक का निर्माण से सम्बन्धित संशोधित ले- आउट प्लान (प्रपत्र 32.1, 32.2, 32.3, 32.4 ) की संक्षिप्त रूपरेखा निम्नवार प्रस्तुत है।

परियोजना	परियोजना के घटक	अभ्युक्ति का विवरण
<p><b>I.</b> <u>अन-आवासीय कार्यालय परिसर,</u></p> <p>कुल क्षेत्रफल 0.2285 है०</p>	<p>1. कार्यालय भवन {.1482 Ha}</p> <p>2. दो पहिया वाहनों की सर्वजनिक पार्किंग का स्थल {.010144 Ha}</p> <p>3. लॉन / खुला स्थान {.035543 Ha}</p> <p>4. आन्तरिक वाहन मार्ग का निर्माण {.034537 Ha}</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>कार्यालय भवन के अन्तर्गत प्रथमतः विभिन्न वाहन सेवाओं, वाहन टैक्स सम्बन्धी कार्य, द्वितीयतः वाहन फिटनेस सम्बन्धित कार्य तृतीयतः चालक / सारथी सेवाओं के अन्तर्गत ड्राइविंग लाइसेंस हेतु बॉयोमेट्रिक ऑनलाईन प्रपत्रों की जांच, कम्प्यूटर ऑनलाईन टैस्ट, सिमियुलेटर टैस्ट आदि कार्यों हेतु तथा प्रवर्तन शाखा के अन्तर्गत प्रवर्तन दल द्वारा किए जाने वाले कार्यों तथा सम्बन्धित उपकरणों के रख-रखाव हेतु कार्यालय भवन की आवश्यकता होती है।</li> <li>कार्यालय में स्टाफ तथा आवेदकों के वाहनों की पार्किंग की आवश्यकता होगी।</li> <li>लॉन/सार्वजनिक खुले स्थान की आवश्यकता होती है।</li> <li>आन्तरिक वाहन मार्ग जिसके द्वारा वाहन पार्किंग, ड्राइविंग टैस्टिंग ट्रेक तथा ट्रेफिक अवेसरनेस सेन्टर पर पहुंचेगी की आवश्यकता होगी।</li> <li>कार्यालय परिसर के अन्तर्गत उपर्युक्त वर्णित विभिन्न कार्यों की आवश्यकता के अनुरूप कार्यालय भवन तथा अन्य घटकों के निर्माण की आवश्यकता के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण संलग्न है।</li> </ul>
<p><b>II.</b> <u>ट्रेफिक अवेसरनेस सेन्टर भवन</u></p> <p>कुल क्षेत्रफल 0..1115 है०</p>	<p>1. बन्द वाहनों की सुरक्षित अभिरक्षा स्थल {.111496 Ha}</p> <p>2. कॉउंसलिंग हॉल।</p> <p>3. सभागार कक्ष।</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>रिट याचिका संख्या 2112/एम0एस0/2021 अरुण कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन में सील/निरुद्ध वाहनों के पार्क करने तथा काउंसलिंग भवन हेतु एक ट्रेफिक अवेसरनेस सेन्टर भवन के अनिवार्यतः निर्माण किया जाना है।</li> <li>महोदय उक्त संवेदनशील अभियोगों में दोषी/ नियमों के उल्लघनकर्ता चालकों को कार्यालय में रोड सेफ्टी संवेदनशीलता के प्रति अनिवार्य काउंसलिंग प्रदान की जानी है जिस हेतु माननीय सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी तथा शासन के नियमानुसार कार्यालय में एक काउंसलिंग भवन हॉल का निर्माण भी आवश्यक है।</li> <li>ट्रेफिक अवेसरनेस सेन्टर भवन तथा अन्य घटकों के निर्माण की आवश्यकता के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण संलग्न है।</li> </ul>
<p><b>III.</b> <u>ऑटोमैटेड ड्राइविंग टैस्टिंग ट्रेक</u></p> <p>कुल क्षेत्रफल 0.40 है०</p>	<p>1. चौपहिया वाहन टैस्टिंग टैक {.209755 Ha}</p> <p>2. दोपहिया वाहन टैस्टिंग टैक {.037661 Ha}</p> <p>3. मॉनिटर/कन्ट्रोल रूम आन्तरिक मार्ग/खुला स्थान {.074939 Ha}</p> <p>चौपहिया वाहनों की सर्वजनिक पार्किंग का स्थल {.039984 Ha}</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>चालक / सारथी सेवाओं के अन्तर्गत ड्राइविंग लाइसेंस हेतु अभ्यर्थी मैदान/मार्ग पर चालकता परीक्षण पास करना होता है, जिस हेतु स्वयं के कार्यालय भवन तथा ऑटोमैटेड ड्राइविंग टैस्टिंग ट्रेक का होना अतिआवश्यक है।</li> <li>माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों के अनुपालन में मुख्यालय कार्यालय द्वारा उनके पत्रांक 5345/नियोजन /13-113 /2017 दिनांक 26-08-2017 से प्रारम्भ करते हुए अपने विभिन्न पत्रों द्वारा जनपद बागेश्वर में ड्राइविंग लाइसेंस आवेदकों के परीक्षण के लिए ऑटोमैटेड ड्राइविंग टैस्टिंग ट्रेक हेतु लगभग 4000 वर्ग मीटर भूमि चयन हेतु निर्देशित किया गया है।</li> <li>ड्राइविंग टैस्टिंग ट्रेक तथा अन्य घटकों के निर्माण की आवश्यकता के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण संलग्न है।</li> </ul>

- उक्त तीनों परियोजनाओं हेतु प्रस्तावित 0.74 है० भूमि न्यूनतम तथा अपरिहार्य हैं।
- परियोजना की कुल अनुमानित लागत 900 लाख है।
- महोदय उपर्युक्त तीनों परियोजनाओं तथा उनके अन्तरनिहित घटकों का निर्माण तथा उनकी आवश्यकता के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण संलग्न है।

सहायक संचालक परियोजना अधिकारी  
बागेश्वर





{ले-आउट/ प्रपत्र 32.2 का विस्तृत विवरण }  
परियोजना 01 – कार्यालय परिसर का निर्माण 0.2285 है

कार्यालय परिसर- कार्यालय परिसर के अन्तर्गत 04 घटकों यथा कार्यालय भवन, दो पहिया तथा चार पहिया पार्किंग स्थल, लॉन/ सार्वजनिक स्थान तथा वाहन अन्तरिक मार्ग का निर्माण 0.2285 है 0 भूमि पर किया जाना प्रस्तावित है।



**घटक 01.1- कार्यालय भवन**

❖ **कार्यालय भवन-**

महोदय परिवहन कार्यालय एक सार्वजनिक जन सेवा का कार्यालय होता है जिसके अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान किए जाने हेतु विभिन्न शाखाएं तथा उन शाखाओं के अन्तर्गत विभिन्न कक्षों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

❖ **कार्यालयाध्यक्ष कक्ष-**

प्रथमतः कार्यालयाध्यक्ष के रूप में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) / ए0आर0टी0ओ0 (ए0) का कक्ष निर्मित होना है। महोदय कार्यालयाध्यक्ष के रूप में उक्त कक्ष में स्वयं सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी के बैठने तथा कम्प्यूटर सिस्टम, प्रिंटर, सी0सी0टी0वी0 कैमरों की निगरानी आदि की व्यवस्था की जानी होती है। इस कक्ष में विभिन्न रिपोर्ट शासनादेश पत्राचार अन्य गोपनीय पत्रावलियों हेतु रैक अलमारी आदि की व्यवस्था होती है। उक्त कक्ष में एक शौचालय की भी व्यवस्था नितान्त आवश्यक होती है। ए0आर0टी0ओ0 (ए0) को विभिन्न विभागीय समस्याओं प्रशासकीय कार्यों से अगवत कराये जाने हेतु विभिन्न आगन्तुक यथा वाहन सेवा/चालक लाईसैंस सेवा/टैक्सी यूनियन के प्रतिनिधि मण्डल आदि समय -2 पर मिलने पहुंचते हैं। उक्त के बैठने हेतु लगभग 20 से 25 व्यक्तियों हेतु कुर्सी आदि की उचित व्यवस्था की जानी होती है।

❖ **सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) / ए0आर0टी0ओ0 (ई0) -**

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) / ए0आर0टी0ओ0 (ई0) द्वारा प्रवर्तन सम्बन्धित सभी कार्यों का सम्पादन/पर्यवेक्षण किया जाता है। उक्त कक्ष में कम्प्यूटर सिस्टम, प्रिंटर आदि की व्यवस्था की जानी होती है। इस कक्ष में प्रवर्तन सम्बन्धित विभिन्न रिपोर्ट शासनादेश पत्राचार अन्य गोपनीय पत्रावलियों हेतु रैक अलमारी आदि की व्यवस्था होती है। उक्त कक्ष में एक शौचालय की भी व्यवस्था नितान्त आवश्यक होती है। ए0आर0टी0ओ0 (ई0) को प्रवर्तन सम्बन्धित विभिन्न विभागीय समस्याओं प्रशासकीय कार्यों से अगवत कराये जाने हेतु विभिन्न आगन्तुक यथा वाहन सेवा/चालक लाईसैंस सेवा/टैक्सी यूनियन के प्रतिनिधि मण्डल आदि समय -2 पर मिलने पहुंचते हैं। उक्त के बैठने हेतु लगभग 20 से 25 व्यक्तियों हेतु कुर्सी आदि की उचित व्यवस्था की जानी होती है।

❖ **परिवहन कर अधिकारी कक्ष-**

कार्यालय में वाहनों से प्राप्त होने वाले विभिन्न करों राजस्व में कमी वृद्धि की देखरेख, बकाया में संचालित वाहनों से वसूली एवं आर0सी0 जारी किये जाने की कार्यवाही एवं सड़क सुरक्षा के कार्य, प्रवर्तन सम्बन्धित अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को सम्पादित किया जाता है। उक्त कक्ष में अधिकारी एवं सहायकों के अतिरिक्त आगन्तुकों हेतु स्थान एवं कम्प्यूटरीकृत सामग्री हेतु स्थान की आवश्यकता होती है।

❖ **वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी कक्ष-**

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी द्वारा सामान्य पत्राचार एवं अन्य न्यायालय में लम्बितवादों की पत्रावली सूचना का अधिकार, एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यों का सम्पादन, कार्यालय में प्राप्त राजस्व के अभिलेखों को अद्यतन करना, एवं उच्चाधिकारियों द्वारा जारी दिशा निर्देशों के निर्देशानुसार सामान्य प्रशासन के सभी कार्यों का पर्यवेक्षण एवं सम्पादन किया जाता है।

उक्त के अतिरिक्त गैर विभागीय प्रशासकीय कार्यों यथा जिला प्रशासन के कार्य आदि का सम्पादन तथा पर्यवेक्षण भी किया जाता है। उक्त हेतु इस कक्ष में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के सहायक के रूप में एक कनिष्ठ सहायक कार्य हेतु एक **बड़े कक्ष** जिसमें महत्वपूर्ण अभिलेखों /रिकार्ड एवं आगन्तुकों हेतु स्थान की व्यवस्था की जाती है।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी  
बुधवार

❖ सामान्य प्रशासन / प्रशासनिक अधिकारी कक्ष -

कार्यालय में स्थापित सामान्य प्रशासन कक्ष में प्रशासिक अधिकारी एवं अन्य लिपिकों के माध्यम से कार्यालय से सम्बन्धित सामान्य प्रशासन का कार्य सम्पादित किया जाता है। उक्त कार्य में कार्यालय के सभी अनुभागों से सम्बन्धित सामान्य प्रशासन का कार्य सम्पादित किये जाने हेतु अलग कम्पाटमेन्ट की व्यवस्था होती है। जिसमें सामान्य प्रशासन से सम्बन्धित अद्यतन अभिलेखों को भी व्यवस्थित किया जाता है। उक्त कक्ष में समय -2 पर प्रशासकीय लघु बैठकों को आयोजन भी उक्त कक्ष में किया जाता है।

❖ लेखाकार कक्ष-


उक्त कक्ष में एक लेखाकार के माध्यम से विभागीय लेखा आय-व्यय से सम्बन्धित कार्य, कर्मचारियों के वेतन भत्तों का भुगतान कर्मचारियों की सर्विस बुक का अद्यतनीकरण का कार्य, व्यक्तिगत पत्रावलियों का अद्यतनीकरण/रख-रखाव का कार्य, सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्राप्त धनराशि को प्राप्तकर्ता वाहन स्वामियों के खातों में अंतरण किया जाना एवं लेखा से सम्बन्धित समस्त कार्यों का सम्पादन उक्त अनुभाग में सम्पादित किया जाता है।

❖ प्रतीक्षालय कक्ष-

इस कक्ष में समस्त जनपद के निवासियों जिन्हें प्रतिदिन कार्यालय में किसी न किसी कार्य से परिवहन सम्बन्धित यथा लाईसैंस, वाहन का पंजीयन, चालान निस्तारण, वाहनों का फिटनेस, वाहनों के प्रपत्र प्राप्त करना, अन्य महत्वपूर्ण कार्य हेतु आना जाना लगा रहता है जिससे कार्यालय में प्रतिदिन काफी संख्या में आम जनों को आना होता है। उक्त अवधि में आवेदकों को अपने कार्य की बारी का इन्तजार भी करना होता है जिससे उन्हें टोकन प्रदान किया जाता है एवं उनके निर्धारित समयावधि का स्लोट आवंटन के पश्चात उन्हें कार्य हेतु बुलाये जाने की व्यवस्था है। अतः उक्त के दृष्टिगत कार्यालय में प्रतीक्षालय की नितान्त आवश्यकता होती है उक्त बड़े कक्ष में आवेदकों हेतु बैठने की उचित व्यवस्था शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, ऑनलाईन टोकन की मशीन की व्यवस्था एवं अन्य उपकरणों को लगाये जाने की व्यवस्था है।

❖ सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) कक्ष -


उक्त कक्ष में तैनात अधिकारी सम्भागीय निरीक्षक प्राविधिक द्वारा प्रथम चरण में वाहन फिटनेस का कार्य सड़क अथवा मैदान पर किया जाता है। व्यववायिक वाहनों के अर्द्धवार्षिक, वार्षिक, एवं द्विवार्षिक आधार पर वाहनों का तकनीकी निरीक्षण, फिटनेस का कार्य, निजी वाहनों का नवीनीकरण का कार्य, स्थायी लाईसैंस टैस्ट सम्बन्धित कार्य, राजकीय वाहनों में आवश्यक कार्य किये जाने की आज्ञा प्रदान किया जाना, दुर्घटनाग्रस्त वाहनों की जांच का कार्य आदि महत्वपूर्ण कार्य सम्पादित किये जाते हैं। उक्त कार्यों हेतु इस कक्ष में कम्प्यूटर प्रिंटर पत्रावलियों के रख-रखाव अलमारियों की व्यवस्था के साथ-2 उक्त अधिकारी एवं सम्बन्धित सहायक एवं आगन्तुक/आवेदकों हेतु बैठने की अनिवार्य व्यवस्था की जाती है।

सहायक निरीक्षक (प्राविधिक) अधिकारी  
  
 हाथीखोर

परिवहन कार्यालय में चालकों को वाहन के लाईसेंस जारी किये जाने हेतु शिक्षार्थी लाईसेंस तथा उसके एक माह पश्चात स्थायी लाईसेंस जारी किया किये जाने का कार्य किया जाता है जिसमें शिक्षार्थी लाईसेंस एवं स्थायी लाईसेंस हेतु एकाधिक कक्षाओं की व्यवस्था रहती है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नप्रकार प्रेषित है-

**शिक्षार्थी लाईसेंस जारी किये जाने हेतु कक्ष का संक्षिप्त विवरण-**


		लाईसेंस हेतु कक्ष का विवरण	अभ्युक्ति
<b>प्रथम चरण</b>  शिक्षार्थी लाईसेंस चरण-	कक्ष	ऑनलाईन प्रपत्रों की जांच (Document Verification) का काउन्टर	उक्त कक्ष में आवेदकों के आवेदन तथा अन्य प्रपत्रों यथा पता प्रमाण, जन्म तिथि प्रमाण पत्र आदि की जांच /स्कूटनी का कार्य एक लिपिक के माध्यम से किया जाता है।
		बायोमेट्रिक काउन्टर	आवेदकों के प्रपत्रों की ऑनलाईन जांच के उपरान्त इस कक्ष में आवेदकों की बायोमेट्रिक का कार्य, बायोमेट्रिक फोटो कैप्चर, बायोमेट्रिक सिग्नेचर आदि कार्य सम्पादित किया जाता है।
	कक्ष	शिक्षार्थी लाईसेंस टैस्ट का कक्ष	उपर्युक्त प्रक्रिया के पश्चात आवेदकों को कम्प्यूटर आधारित ऑनलाईन परीक्षा से गुजरना होता है। परीक्षा कक्ष में लगभग 10 स्थापित कम्प्यूटरों के माध्यम से उक्त परीक्षा सम्पादित की जाती है। उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को शिक्षार्थी लाईसेंस जारी कर दिया जाता है।
<b>शिक्षार्थी लाईसेंस जारी होने के एक माह पश्चात एवं छः माह की अवधि तक आवेदक को स्थायी लाईसेंस हेतु आवेदन करना होता है।</b>			
<b>द्वितीय चरण</b>  स्थायी लाईसेंस चरण	कक्ष	ऑनलाईन प्रपत्रों की जांच ( Document Verification) का काउन्टर	उक्त कक्ष में आवेदकों के आवेदन तथा अन्य प्रपत्रों यथा पता प्रमाण, जन्म तिथि प्रमाण पत्र आदि की जांच /स्कूटनी का कार्य एक लिपिक के माध्यम से किया जाता है।
		बायोमेट्रिक काउन्टर	आवेदकों के प्रपत्रों की ऑनलाईन जांच के उपरान्त इस कक्ष में आवेदकों की बायोमेट्रिक का कार्य, बायोमेट्रिक फोटो कैप्चर, बायोमेट्रिक सिग्नेचर आदि कार्य सम्पादित किया जाता है।
	कक्ष	स्थायी लाईसेंस टैस्ट कक्ष (सिम्युलेटर परीक्षा कक्ष)	उक्त प्रक्रिया के पश्चात आवेदकों की सम्युलेटर के माध्यम से परीक्षा की व्यवस्था है। कार्यालय में एक 03 स्क्रीन युक्त कार के आकार की सम्युलेटर मशीन उक्त कक्ष में स्थापित रहती है। जिसमें अभ्यर्थियों ड्राइविंग टैस्ट देने के पश्चात परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है। उक्त परीक्षा के पश्चात प्रत्येक उत्तीर्ण आवेदनकर्ता को अपने वाहन सहित ड्राइविंग ट्रैक पर ड्राइविंग परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है। यह ट्रैक कार्यालय परिसर से संलग्न लगभग 4,000 वर्गमीटर में बनाया जाना प्रस्तावित है। विवरण पृथक से संलग्न है।
		लाईसेंस पिंटिंग का काउन्टर	सफल अभ्यर्थियों को इस काउन्टर के माध्यम से लाईसेंस प्रिंट कर उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की जाती है।
	कक्ष	लाईसेंस से सम्बन्धित अन्य कार्य किये जाने का कक्ष	उक्त कक्ष में पूर्व में जारी लाईसेंसों के नवीनीकरण का कार्य, पता परिवर्तन का कार्य, परिचालक लाईसेंस जारी किया जाना,इन्टरनेशनल चालक परमिट जारी करना, लाईसेंस की फोटो आदि में परिवर्तन लाईसेंस का अद्यतनीकरण आदि का कार्य विभिन्न काउन्टरों के माध्यम से किया जाता है।

  
 सहायक संचालक परिवहन अधिकारी  
 बंगलूर

❖ कर पंजीयन शाखा/कक्ष -

उक्त शाखा में एक रोकड कक्ष एवं कर पंजीयन अथवा वाहनों के अन्य कार्यों हेतु अन्य विशाल कक्ष/हॉल जिसमें न्यूनतम - 10 काउन्टरों/कक्षों की नितान्त व्यवस्था होती है की आवश्यकता का संक्षिप्त विवरण निम्नप्रकार है-

शाखा	वाहनों से सम्बन्धित कार्य	अभ्युक्ति	
कर पंजीयन शाखा/कक्ष	कक्ष	उक्त कक्ष के माध्यम से वाहनों पर देय कर जमा एवं अन्य देयकों का भुगतान हेतु कक्ष निर्धारित रहता है। उक्त कक्ष में एक बड़े आकार की तिजोरी स्थापित रहती है। जिसमें प्रमारी रोकड द्वारा कार्य सम्पादित किया जाता है। देयकों को प्राप्त करते हुए धनराशि को तिजोरी में जमा करते हुए अगले कार्य दिवस को बैंक में जमा किया जाता है।	
	हॉल	वाहनों के प्रपत्रों को तैयार एवं जांच का काउन्टर	प्रथम चरण में किसी भी वाहन के पंजीयन के प्रपत्रों को सुव्यवस्थित रूप से फाईलिंग करते हुए वाहन के प्रपत्रों में अंकित बिल आदि का मिलान, वाहन स्वामी द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में हस्ताक्षर आदि की जांच का कार्य एवं वाहन के चैसिस सत्यापन का कार्य उक्त कक्ष में किया जाता है।
	निजी वाहनों का पंजीयन काउन्टर	उक्त कक्ष में प्रथमतः वाहनों के प्रपत्रों की जांच का कार्य एक लिपिक के माध्यम से सम्पादित किया जाता है।	
	नए वाहनों के पंजीयन की पत्रावली काउन्टर	उक्त के पश्चात प्रधान लिपिक अथवा प्रशासनिक अधिकारी द्वारा प्रपत्रों का वेरिफिकेशन का कार्य सम्पादित किया जाता है।	
	व्यवसायिक वाहनों के का पंजीयन एवं वाहन की एन0ओ0सी0जारी किये जाने का कार्य काउन्टर	उक्त काउन्टर के माध्यम से व्यवसायिक वाहनों का पंजीयन एवं वाहनों का अनापत्ति प्रमाण पत्र अन्य जनपदों अन्य राज्यों को जारी किये जाने का कार्य उक्त कक्ष के माध्यम से सम्पादित किया जाता है।	
	वाहन की एन0ओ0सी0जारी किये जाने का कार्य काउन्टर	कार्यालय में अन्य राज्यों एवं राज्य के अन्य जनपदों में वाहन का अनापत्ति प्रमाण ले जाने वाले वाहन स्वामियों हेतु उक्त अलग काउन्टर की व्यवस्था होती है।	
	वाहनों के हस्तारण का काउन्टर	पुराने वाहनों को समय -2 पर अनेक वाहन स्वामी किसी अन्य को विक्रय करते हैं उक्त काउन्टर के माध्यम से वाहन हस्तारण का कार्य सम्पादित किया जाता है।	
	वाहनों के समर्पण का काउन्टर	व्यवसायिक वाहनों को वित्तीय वर्ष में मार्ग में संचालित नहीं होने की दशा में संपर्पित किया जाता है उक्त काउन्टर के माध्यम से यह कार्य किया जाता है।	
	सिरीज ए वाहनों का कार्य काउन्टर	उक्त कक्ष में आवंटित विभिन्न सिरीजों में एक सिरीज का कार्य सम्पादित किया जाता है।	
	सिरीज बी वाहनों का कार्य काउन्टर	उक्त कक्ष में आवंटित विभिन्न सिरीजों में से बी सिरीज का कार्य सम्पादित किया जाता है।	
	सिरीज सी वाहनों का कार्य काउन्टर	उक्त कक्ष में आवंटित विभिन्न सिरीजों में से सी सिरीज का कार्य किया जाता है।	
	अन्य सिरीज वाहनों का कार्य काउन्टर	उक्त के पश्चात अन्य आवंटित सिरीज का कार्य सम्पादित किया जाएगा।	
	वाहनों से सम्बन्धित अन्य कार्यों का सम्पादन	वाहनों से सम्बन्धित अन्य कार्य उक्त कक्ष के माध्यम से सम्पादित किये जाते हैं। उक्त कक्ष में वाहनों के समर्पण वाहनों में पता परिवर्तन वाहनों के नवीनीकरण एवं अन्य महत्पूर्ण कार्य सम्पादित किए जाते हैं।	

  
 महाप्रबन्धक, परिवहन विभाग  
 बनारस

❖ प्रवर्तन शाखा /

प्रवर्तन शाखा में आवेदकों के विभिन्न कार्यों हेतु निम्नवर्णित एक सामान्य एवं एक बड़ा हॉल का निर्माण होना है।

शाखा	वाहनों से सम्बन्धित कार्य	अभ्युक्ति
प्रवर्तन शाखा	कक्ष प्रवर्तन/चालान वाद प्रशामन कक्ष	<ul style="list-style-type: none"> <li>चालान कम्पाउडिंग/ चालान निस्तारण कक्ष में उल्लघनकर्ता अपने चालानों सहित पहुंचते हैं जहाँ पर प्रवर्तन स्टाफ /अधिकारी द्वारा उक्त चालानों की समीक्षा/इन्वेस्टिगेशन कर उल्लघनकर्ताओं पर दण्ड आपरोति किया जाता है।</li> <li>इस कक्ष में कम्पाउडिंग के अतिरिक्त प्रवर्तन दल द्वारा किये गए चालानों का अतिमहत्वपूर्ण रिकार्डों का रख रखाव उल्लघनकर्ताओं से वाद प्रशामित की धनराशि जमा किये जाने एवं प्राप्त धनराशि को बैंक में जमा एवं अन्य आवश्यकत कार्यवाही सम्पन्न की जाती है।</li> </ul>
	हॉल प्रवर्तन दल / आपदा रिस्पोन्स कक्ष	<ul style="list-style-type: none"> <li>महोदय अवगत करना है कि कार्यालय में प्रवर्तन अधिकारियों के साथ प्रवर्तन सिपाहियों की तैनाती भी रहती है। प्रवर्तन दल, बागेश्वर में वर्तमान में 03 प्रवर्तन सिपाही 02 प्रवर्तन पर्यवेक्षक, 01 वरिष्ठ प्रवर्तन पर्यवेक्षक तथा एक चालक तैनात है। उक्त प्रवर्तन दल द्वारा मार्ग प्रवर्तन कार्य के अतिरिक्त मार्ग में किये गए चालानों का कार्यालय में आकर टैब के माध्यम से प्रिंट का कार्य, चालानों को व्यवस्थित करते हुए एवं काईम रजिस्टर में अंकित किए जाने के पश्चात प्रवर्तन शाखा में जमा किये जाने का कार्य होता है।</li> <li>लोक सभा सामान्य निर्वाचन, विधान सभा सामान्य निर्वाचन आदि में वाहन अधिग्रहण का कार्य सम्पादित किये जाने के पश्चात अधिग्रहीत वाहनों की प्रपत्रों को व्यवस्थित किये जाने का कार्य किया जाता है। निर्वाचन कार्य सम्पादन के पश्चात वाहन स्वामियों को कार्यालय पहुंचकर अधिग्रहण आदेश की प्रति प्राप्त करते हुए अधिग्रहित वाहनों के प्रपत्रों को वापस वाहन स्वामियों को उपलब्ध कराया जाना होता है।</li> <li>जनपद एक विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला जनपद है जो आपदा के दृष्टिगत अति संवेदनशील क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। जनपद में लैंसस्लाईड बादल का फटना भूकम्प की घटना की घटनाएं लगातार घटित होती रहती है। किसी भी आपदा के दौरान उक्त कक्ष में परिवहन विभाग द्वारा आपातकाल परिस्थितियों में वाहनों की उपलब्धता हेतु 24 घण्टे की उपस्थिति बनाई रखनी होती है। उक्त के दृष्टिगत यह कक्ष आपदा रिस्पोन्स कक्ष के रूप में भी निर्मित किया जाना है।</li> <li>उपर्युक्त के दृष्टिगत एक बड़े हॉल जिसमें तीन प्रवर्तन सिपाहियों, दो प्रवर्तन पर्यवेक्षक, एक वरिष्ठ प्रवर्तन पर्यवेक्षक तथा एक चालक तथा अन्य आवश्यक स्टाफ हेतु उचित स्थान हो, की आवश्यकता होती है।</li> </ul>
	प्रवर्तन उपकरण के रख-रखाव का कक्ष	<ul style="list-style-type: none"> <li>प्रवर्तन कार्य हेतु आवंटित उपकरणों यथा जिसमें स्पीड रडार गन, एल्कोमीटर, टार्च, छाता, बरसाती, आदि के सुवस्थित रखरखाव हेतु एक अलग कक्ष की आवश्यकता होती है।</li> </ul>

  
 सहायक प्रवर्तन अधिकारी  
 बागेश्वर

❖ डी0बी0ए0 कक्ष-

कार्यालय में एक कक्ष डाटा बेस कर्मचारी हेतु अलग से निर्धारित किया गया है। उक्त कर्मचारी एन0आई0सी0 के माध्यम से कार्यालय में कार्यरत रहता है। उक्त कर्मचारी द्वारा ऑन कम्प्यूटर के सभी ऑनलाईन कार्यों की निगरानी एवं कम्प्यूटरीकृत कार्यों में किसी भी रुकावट/समस्या समाधान एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को सम्पादित किया जाता है। उक्त कक्ष में कम्प्यूटर के महत्वपूर्ण उपकरणों स्कैनर प्रिंटर, रिपेयरिंग टूल्स एवं अन्य उपकरणों सहित डी0बी0ए0 के बैठने की उचित व्यवस्था रहती है।

❖ इलेक्ट्रनिक कक्ष/सर्वर रूम/ ई-स्टोर रूम-

कार्यालय में स्थापित ऑनलाईन यू0पी0एस0, राउटर, स्विच, इनवर्टर, बैटरी, पावर सप्लाय टूल्स एवं इन्टरनेट को जोड़ने हेतु उपकरणों कार्यालय में स्थापित स्क्वॉन कनेक्टीविटी उपकरणों को जोड़ने के यंत्रों एवं अन्य कम्प्यूटर ई सामग्री के रखरखाव हेतु एक छोटे कक्ष की आवश्यकता होती है।

❖ किचन कैन्टीन-

कार्यालय में स्टाफ के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु एक किचन एवं कैन्टीन की व्यवस्था रहती है।

❖ रात्री चौकीदार कक्ष-


उक्त कक्ष में कार्यालय की सुरक्षा के दृष्टिगत प्रतिदिन दो चौकीदारों की तैनाती रहती है।

❖ रिकार्ड हॉल-

उक्त हॉल में कर पंजीयन से सम्बन्धित वाहनों की पत्रावलियों का रख रखाव लगभग 100 बड़े स्टील रैको के माध्यम से जिसमें वर्तमान स्थिति के अनुसार लगभग 30,000 फाईले जो भविष्य में दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी के रख-रखाव हेतु उक्त हॉल की समुचित व्यवस्था होती है। उक्त हॉल में वाहनों से सम्बन्धित अन्य कार्यों की महत्वपूर्ण पत्रावलियों का रख रखाव पूर्व में मैनुअल रूप में किए गए कार्यों जिसमें वाहनों के देयकों का रिकार्ड आदि रजिस्टर में अंकित किया गया था भविष्य की आवश्यकताओं के दृष्टिगत सुरक्षित रखा जाता है। उक्त के अतिरिक्त प्रवर्तन शाखा से भुगतान के प्रपत्रों का रख रखाव निर्वाचन एवं अन्य महत्वपूर्ण देयकों की पत्रावलियों का रख रखाव लाईसैंस से सम्बन्धित आवेदकों के आवेदनों का रख रखाव भी किया जाता है।

❖ प्रसाधन कक्ष-

कार्यालय में आने वाले आवेदकों जिन्हें अपना कार्य करते हुए हेतु प्रधान कक्ष की नितान्त आवश्यकता होगी उक्त के अतिरिक्त कार्यालय में कार्यरत स्टाफ /अधिकारी वर्त हेतु भी अलग से एक प्रसाधन कक्ष की आवश्यकता होती है।

  
महायक सहायक प्रवर्तन अधिकारी  
बरेली

## ❖ घटक 1.2—

### ❖ दो पहिया वाहन पार्किंग स्थल का निर्माण—

- परिवहन कार्यालय में अधिकांशतः कार्य वाहन से सम्बन्धित होते हैं। विभिन्न आवेदक वाहन एवं वाहन से सम्बन्धित अन्य महत्वपूर्ण कार्य हेतु अपने वाहन से ही कार्यालय में उपस्थिति होते हैं। अतः विभिन्न कार्यों विशेषतः लाईसेंस टैस्ट, वाहनों की फिटनेस हेतु सभी आवेदकों को आवश्यक रूप से अपने वाहन सहित कार्यालय में उपस्थित होना होता है जिस हेतु पार्किंग की उचित व्यवस्था की जानी होती है।
- उक्त के अतिरिक्त कार्यालय स्टाफ हेतु भी वाहनों की पार्किंग हेतु स्थल की आवश्यकता हैं।
- अतः पार्किंग स्थल में स्टॉफ पार्किंग, सार्वजनिक दो पहिया वाहन पार्किंग, सार्वजनिक चौपहिया वाहन की पार्किंग की आवश्यकता होगी।

## ❖ घटक 01.3—

### ❖ लॉन/सार्वजनिक खुला क्षेत्र का निर्माण— ( )

उक्त सार्वजनिक स्थल में विभिन्न कार्यों हेतु आने वाले आवेदकों को खुले स्थान की आवश्यकता होती है। कार्यालय में परिसर के विभिन्न कार्याक्रमों के सम्पादन ध्वजा रोहण, नीलाम वाहनों की सार्वजनिक नीलामी, टैन्ट आदि की व्यवस्था तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्यों हेतु खुले स्थान लॉन /सार्वजनिक स्थल की आवश्यकता होती है।


## ❖ घटक 01.4—


### ❖ आन्तरिक मार्ग का निर्माण—

महोदय, परियोजना की प्रस्तावित भूमि जिला मार्ग से सटी हुई है, लेकिन यह भूमि प्रारम्भ में जिला मार्ग से लगभग 06 फुट की ऊचाई पर स्थित है तथा धीरे-2 इसकी उचाई कम होती जाती है। अन्त बिन्दु पर सड़क तथा प्रस्तावित भूमि लगभग समान उचाई पर होने से मुख्य प्रवेश द्वार/मार्ग यही पर से बनाया जाना सम्भव है।

अतः कार्यालय में आने वाले सभी वाहन जिन्हें पार्किंग या डाइविंग टेस्टिंग टैक अथवा फिटनेस स्थल पर पहुंचना है, के लिए कार्यालय से सटी हुई (कार्यालय परिसर तथा जिला मार्ग के मध्य) लगभग 12 फिट मार्ग नितान्त आवश्यकता है।

उक्त के अतिरिक्त कार्यालय में प्रतिदिन 20-25 वाहन फिटनेस स्वास्थ्य जांच हेतु प्रस्तुत होते हैं जिसकी जांच हेतु भी उक्त आन्तरिक वाहन मार्ग अवश्यम्भावी है।


  
सहायक सार्वजनिक परिवहन अधिकारी  
बागेश्वर



- 1- कार्यालय भवन ।
- 2- दीर्घशा वाहनी हेतु सार्वजनिक पाठशाला स्थल ।
- 3- धान / रबूना स्थान ।
- 4- आन्तरिक वाहन मार्ग ।

**LAYOUT PROJECT - 01**  
**AREA 2285.04 SQ.M.**

सहकार्य  
 अभियंता  
 अभियंता  
 अभियंता




SIGNATURE OF ARCHITECT

{ले-आउट/ प्रपत्र 32.3 का विस्तृत विवरण }  
परियोजना भाग 02 – ट्रैफिक अवेरनेस सेन्टर भवन का निर्माण

द्वितीय परियोजना के अन्तर्गत प्रवर्तन दल द्वारा निरूद्ध वाहनों के सुरक्षित अभिरक्षा भवन, काउंसलिंग हॉल सभागार कक्ष तथा विभागीय वाहनों हेतु गैराज का निर्माण निम्न विवरणानुसार किया जाना है।

<p>ट्रैफिक अवेरनेस सेन्टर भवन</p>	<p>1. बन्द वाहनों की सुरक्षित अभिरक्षा स्थल तथा विभागीय गैराज</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>रिट याचिका संख्या 2112/एम0एस/2021 अरुण कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन में सील/निरूद्ध वाहनों के पार्क करने तथा काउंसलिंग भवन हेतु एक ट्रैफिक अवेरनेस सेन्टर भवन के अनिवार्यतः निर्माण किया जाना है।</li> <li>उक्त परिसर के प्रथम तल/ बैसमेन्ट में मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न अपराधों में बन्द /सीज किए गए हल्के तथा भारी वाहनों को सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाएगा।</li> <li>वर्तमान में यह कार्य अन्य विभाग यथा पुलिस विभाग की सुरक्षित अभिरक्षा में यह कार्य सम्पादित किया जाता है। परन्तु माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार परिवहन विभाग के प्रत्येक कार्यालय में उक्त अभिरक्षा स्थल का निर्माण किया जाना आवश्यक है।</li> <li>यह भवन लगभग 50 छोटे एवं बड़े वाहनों की सुरक्षित अभिरक्षा हेतु ट्रैफिक अवेरनेस सेन्टर के प्रथम घटक के रूप में निर्मित किया जाना है।</li> <li>विभागीय वाहनों ( दो बैलेरो तथा एक इन्टसेप्टर इनोवा वाहन हेतु) एक गैराज भी निर्मित किया जाना है।</li> <li>उक्त वाहनों की निगरानी हेतु पर्याप्त चौकीदार के रहने की व्यवस्था टायलेट रूम आदि की भी व्यवस्था की जानी होगी।</li> </ul>
<p>0.1115 है0</p>	<p>2. काउंसलिंग हॉल। (द्वितीय तल)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>महोदय माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली सड़क सुरक्षा निगरानी समिति के निर्देशानुसार सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत संवेदनशील अभियोगों यथा <b>Drink &amp; Drive, Overspeed, redlight jump, Without Helmet and Setbelt,</b> आदि में दोषी/ नियमों के उल्लघनकर्ता चालकों को कार्यालय में रोड सेफटी संवेदनशीलता के प्रति अनिवार्य काउंसलिंग प्रदान की जानी है जिस हेतु सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी तथा शासन के नियमानुसार कार्यालय में एक काउंसलिंग भवन हॉल का निर्माण किया जाना है।</li> <li>उक्त सेन्टर में प्रतिदिन प्रतिभाग करने वाले वाहन चालकों, व्यवसायिक वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक एवं संवेदनशील किया जाना है एवं प्रोजेक्टर के माध्यम से सड़क प्रयोक्ता से सम्बन्धित अद्यतन जानकारियों से प्रतिदिन अवगत कराया जाना है।</li> <li>काउन्सलिंग हॉल में उक्त स्थल में ई-लॉबी प्रोजेक्टर, छात्र छात्राओं को सड़क सुरक्षा के प्रति संवेदनशील बनाये जाने हेतु मुख्यालय कार्यालय से प्राप्त सड़क सुरक्षा साहित्य की व्यवस्थित व्यवस्था कम्प्यूटर उपकरणों हेतु स्थान होना आवश्यक है।</li> <li>उक्त स्थल में जो कि द्वितीय तल में स्थापित होगा उक्त स्थल में आम जनों व्यवसायिक वाहन चालकों, निजी वाहन चालकों, बस परिचालकों, स्कूली छात्र छात्राओं हेतु आयोजित विभिन्न सड़क सुरक्षा प्रतियोगिता आयोजित किये जाने हेतु एक साथ लगभग 200 व्यक्तियों के बैठने का पर्याप्त स्थान की आवश्यकता होती है।</li> <li>उक्त के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा प्रति वर्ष आयोजित सड़क सुरक्षा माह के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों हेतु प्राप्त सामग्री का रखरखाव वितरण का कार्य एवं व्यवसायिक वाहनों के चालकों का जनपद के चिकित्साधिकारियों के माध्यम से चिकित्सकीय परीक्षण आयोजित किये जाने की व्यवस्था भी उक्त सेन्टर के माध्यम से की जाएगी।</li> </ul>
	<p>3. सभागार कक्ष। (द्वितीय तल)</p>	<p>उक्त कक्ष में समय -2 पर आयोजित विभिन्न आयोजित सभाओं का आयोजन किया जाता है। उक्त कक्ष में समय -2 पर आयोजित मुख्यालय कार्यालय, जनपद कार्यालय, तहसील कार्यालय के स्तर से विडियों कान्फ्रेंसिंग का कक्ष एवं अन्य आयोजित बैठकों का आयोजित किया जाता है।</p>

सहायक निदेशक (परिवहन अभिचार्य)  
बरेilly



- प्रकल्प
- प्राप्त
1. स्वभाचार कक्ष ।
  2. बॉयज ।
- प्रकल्प
1. स्वभाचार कक्ष ।
  2. काउन्सिलिंग कक्ष ।

LAYOUT PROJECT - 02  
AREA 1114.96 SQ.M.



SIGNATURE  
OF ARCHITECT

Signature of the Architect


**{ले-आउट/ प्रपत्र 32.4 का विस्तृत विवरण }**  
**परियोजना भाग 03 – ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक का निर्माण**

वाहन चालकों को गुणवत्तापूर्वक एवं पारदर्शी व्यवस्था के अर्न्तत ड्राइविंग लाइसेंस जारी किये जाने हेतु ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग लेन की नितान्त आवश्यकता है अतः जनपद में पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं होने एवं जनपद की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत कुशल इंजीनियरिंग के माध्यम से कम से कम क्षेत्र में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग लेन की स्थापना की जा रही है।

<p>डाइविंग टेस्टिंग लेन <b>1.40</b> <b>Hactare)</b></p>	<p>चौ पहिया वाहन ड्राइविंग टेस्टिंग टैक</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● चालक / सारथी सेवाओं के अन्तर्गत ड्राइविंग लाइसेंस हेतु अभ्यर्थी मैदान / मार्ग पर चालकता परीक्षण पास करना होता है, जिस हेतु ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक में निम्नप्रकार के टैक की व्यवस्था होती है।</li> <li>● <b>स्टार्ट ट्रैक</b>— इस ट्रैक के माध्यम से वाहन चालक के द्वारा वाहन का सही तरीके से स्टार्ट करने तथा सीट बैल्ट के सही प्रकार से प्रयोग करने तथा स्टार्टिंग गियरों के ज्ञान का परीक्षण लिया जाता है।</li> <li>● <b>GRADIENT TRACK</b> – इस ट्रैक के माध्यम से वाहन चालक का अप हिल तथा डाउन हिल में चालक का परीक्षण किया जाता है। वाहन चालक के द्वारा हैण्ड ब्रेक एक्सीलेटर, फुट ब्रेक क्लच के इस्तेमाल का परीक्षण किया जाता है।</li> <li>● <b>8 ट्रैक</b> – उक्त ट्रैक के माध्यम से वाहन चालक के बाये एवं दाये स्टेयरिंग एवं सार्प टर्निक का परीक्षण लिया जाता है।</li> <li>● <b>पार्किंग ट्रैक</b> – इस ट्रैक के माध्यम से वाहन चालक के द्वारा वाहन को पार्क करने का परीक्षण लिया जाता है तथा वाहन चालक के न्यूनतम स्थान में वाहन पार्किंग के परीक्षण की परीक्षा ली जाती है।</li> <li>● <b>रिवर्स ट्रैक</b> – इस ट्रैक के माध्यम से वाहन चालकों का वाहन को रिवर्स किये जाने का परीक्षण लिया जाता है।</li> <li>● <b>एक्जिट ट्रैक</b>— इस ट्रैक के माध्यम से वाहन चालक का रिवर्स में चलने के बाद सही प्रकार से एक्जिट करने तथा ब्रेक हैण्ड ब्रेक गियर के ज्ञान पर परीक्षण किया जाता है।</li> </ul>
	<p>दो पहिया वाहन ड्राइविंग टेस्टिंग टैक</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>8-8-8 ट्रैक</b> – उक्त ट्रैक के माध्यम से वाहन चालक के बाये एवं दाये एवं सार्प टर्निंग तथा बैलेंसिंग का परीक्षण लिया जाता है।</li> </ul> <p>उक्त सम्पूर्ण मार्ग पर सी0सी0टी0वी0 सैन्सर आदि उपकरण स्थापित रहते हैं जो ड्राइविंग सम्बन्धित सम्पूर्ण डाटा को मानिटर कन्ट्रोल रूम में भेजते हैं।</p>
	<p>मॉनिटर रूम</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● उक्त कक्ष के माध्यम से ड्राइविंग टेस्टिंग टैक में लगे हुए सेन्सरों तथा कैमरों से निगरानी की व्यवस्था की जाती है एवं उक्त टेस्टिंग टैक में हुई कार्यवाही के आधार पर प्रेषित डाटा के आधार पर परीक्षण में उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण का निर्धारण किया जाता है।</li> </ul>
	<p>❖ <b>चौपहिया वाहन पार्किंग स्थल का निर्माण—</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● विभिन्न आवेदक वाहन एवं वाहन से सम्बन्धित अन्य महत्वपूर्ण कार्य हेतु अपने वाहन से ही कार्यालय में उपस्थिति होते हैं। अतः विभिन्न कार्यों विशेषतः लाइसेंस टेस्ट, वाहनों की फिटनेस हेतु सभी आवेदकों को आवश्यक रूप से अपने वाहन सहित कार्यालय में उपस्थित होना होता है जिस हेतु पार्किंग की उचित व्यवस्था की जानी होती है।</li> <li>● उक्त के अतिरिक्त कार्यालय स्टाफ हेतु भी वाहनों की पार्किंग हेतु स्थल की आवश्यकता है।</li> <li>● अतः पार्किंग स्थल में स्टॉफ पार्किंग, सार्वजनिक दो पहिया वाहन पार्किंग, सार्वजनिक चौपहिया वाहन की पार्किंग की आवश्यकता होगी।</li> </ul>

सहायक प्रमाणिक निरीक्षक अधिकारी

- महोदय परियोजना 01 कार्यालय परिसर तथा परियोजना 02 टैफिक अवेयरनेस सेन्टर का निर्माण कार्यालय की उपर्युक्त वर्णित आवश्यकता के अनुसार किया जाना है। उक्त दोनों परियोजनाएं कुल 0.34 है० भूमि पर निर्मित की जानी है।
- माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के निदेशों के अनुपालन में मुख्यालय कार्यालय द्वारा उनके पत्रांक 5345/नियोजन /13-113 /2017 दिनांक 26-08-2017 से प्रारम्भ करते हुए अपने विभिन्न पत्रों द्वारा जनपद बागेश्वर में ड्राइविंग लाईसेंस आवेदकों के परीक्षण के लिए मैदान पर ऑटोमेटेड ड्राइविंग टैस्टिंग ट्रैक हेतु लगभग 4000 वर्ग मीटर भूमि चयन हेतु निर्देशित किया गया अतः परियोजना के तीसरे भाग के रूप में 0.4 है० भूमि पर ड्राइविंग टैस्टिंग ट्रैक का निर्माण किया जाना है।
- उपर्युक्तानुसार प्रस्तावित परियोजना के तीनों भागों हेतु कुल 0.74 है० भूमि न्यूनतम एवं अपरिहार्य है।
- जनपद में कोई भी विकल्प /अन्य वैकल्पिक पर्याप्त तथा उचित भूमि उपलब्ध नहीं है।

  
सहायक पर्यवेक्षण अधिकारी  
बागेश्वर



कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड  
कुल्हान, सहरत्रधारा रोड, देहरादून।

संख्या-4534 /नियोजन/13-70/2022


दिनांक 12 दिसम्बर, 2022

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी,  
बागेश्वर।

**विषय-उप संभागीय परिवहन कार्यालय, बागेश्वर हेतु भूमि के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या 806/सा0प्रशा0/भूमि चयन/2022-23 दिनांक 11.11.2022 एवं पत्र संख्या-809/सा0प्रशा0/भूमिचयन/2022-23 दिनांक 15.11.2022 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके अन्तर्गत भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्रांक 08 बी./यू0सी0पी0/09/69/2022/एफ0सी0/967 दिनांक 11.10.2022 का संदर्भ देते हुए बागेश्वर में विभागीय योजनाओं के निर्माण हेतु ग्राम गाडगॉव में 0.74 है0 वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव दिनांक 17.06.2022 के क्रम में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा दर्ज आपत्ति संख्या 05 के निराकरण/QUIRY Resolution हेतु प्रस्तुत किये गये निराकरण प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

उक्त क्रम में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा व्यक्त आपत्ति संख्या 05 के निराकरण/QUIRY Resolution हेतु प्रस्तुत निराकरण प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान करते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि चयनित भूमि को परिवहन विभाग के नाम हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।


  
(सनत कुमार सिंह)  
संयुक्त परिवहन आयुक्त,  
उत्तराखण्ड।


प्रतिलिपि-संभागीय परिवहन अधिकारी, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्यालय कार्यालय को भेजे जाये पत्रांक

809 दिनांक 15-11-2022, पृष्ठ संख्या 30

सं 46 तक संलग्न है।

  
(सनत कुमार सिंह)  
संयुक्त परिवहन आयुक्त,  
उत्तराखण्ड।

  
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी  
बागेश्वर


2.10


प्रपत्र:- 43-1


परियोजना का नाम :- जनपद बागेश्वर अन्तर्गत चण्डिका वार्ड के गाडगॉव में परिवहन विभाग हेतु- अन-आवासीय कार्यालय भवन, 2, ऑटोमेटेड ड्राईविंग टैस्टिंग ट्रैक तथा ट्रैफिक अवेयरनेस सैन्टर निर्माण कार्य।

**क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र**

प्रमाणित किया जाता है, कि परिवहन विभाग के अन-आवासीय कार्यालय भवन, 2, ऑटोमेटेड ड्राईविंग टैस्टिंग ट्रैक तथा ट्रैफिक अवेयरनेस सैन्टर निर्माण में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित स्थल आरक्षित वन क्षेत्र छतीना कक्ष संख्या- 04 में कुल रोपण क्षेत्रफल 1.5 है० क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सर्वथा उपयुक्त है। जिसमें 1०00 पौध/है० रोपण किया जा सकता है।

  
वन क्षेत्राधिकारी,  
वन क्षेत्राधिकारी  
बागेश्वर वन क्षेत्र  
बागेश्वर प्रभाग बागेश्वर

  
प्रभाग प्रमुख,  
बागेश्वर वन प्रभाग  
बागेश्वर

  
परिवहन अधिकारी  
बागेश्वर

परियोजना का नाम— जनपद बागेश्वर अन्तर्गत चण्डिका वार्ड के गाडगॉव में परिवहन विभाग हेतु—  
अन-आवासीय कार्यालय भवन, 2, ऑटोमेटेड ड्राइविंग टैस्टिंग ट्रैक तथा ट्रैफिक अवेयरनेस सैन्टर  
निर्माण में प्रयुक्त 0.74 है0 वन भूमि के सापेक्ष वृक्षारोपण कार्य

1-पौधारोपण सील का नाम - छतीना कक्ष संख्या -04

2-रोपित किये जाने वाले पौधों की सं0-1500


3-रोपित किये जाने वाली पौधों की प्रजाति-बांज,फल्यांट,तेजपात,हरड़ इत्यादि

क्र0 सं0	कार्य विवरण	मात्रा	ईकाई	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
	<b>प्रथम वर्ष (अग्रिम मृदा कार्य)</b>				
1	सर्वे व सीमांकन	1	पौध	10	10.00
2	पौधों का मूल्य (प्रथम वर्ष)	1	पौध	8.2	8.20
3	स्थल सफाई कार्य / लैन्टाना झाड़ी कटान कार्य	1	पौध	200	200.00
4	घेरबाड़ कार्य (84 घ0मी0 प्रति है0)	0.5	पौध	396.73	198.37
5	गडडा खुदान कार्य (0.30x0.30x0.45)	1	पौध	8.57	8.57
6	निरिक्षण बटिया निर्माण कार्य	1	पौध	15	15.00
7	भूमि व जल संरक्षण कार्य	1	पौध	55	55.00
8	अन्य व्यय	1	पौध	5	20.00
	योग प्रथम वर्ष-:				515.14
	योग-:			<b>SAY</b>	<b>515.00</b>
	<b>द्वितीय वर्ष (वृक्षारोपण कार्य)</b>				
1	गडडा भरान कार्य	1	गडडे	1.34	1.34
2	पौध दुलान कार्य सिरबोझ व वाहन द्वारा	1	पौध	5	5.00
3	पौध रोपण व थावलाबन्दी	1	पौध	2.41	2.41
4	निराई गुराई प्रथम बार	1	पौध	0.88	0.88
5	निराई गुराई द्वितीय बार	1	पौध	0.88	0.88
6	रासायनिक दवा व मल्लिंग	1	पौध	0.25	0.25
7	अनरक्षण कार्य 8 माह का	1	पौध	10	10.00
8	वृक्षारोपण के अन्दर ज्वलनशील पदार्थ को हटाना	1	पौध	5	5.00
9	वृक्षारोपण के बाहर 4 मी0 पट्टी में ज्वलनशील पदार्थ को हटाना	1	पौध	5	5.00
10	अन्य व्यय	1	पौध	10	25.00
	योग- द्वितीय वर्ष				55.76
	योग-:			<b>SAY</b>	<b>55.00</b>
	<b>रोपण के बाद प्रथम वर्ष</b>				
1	12 माह का अनुरक्षण कार्य	1	पौध	50	50.00
2	भूमि व जल संरक्षण कार्य	1	पौध	55	44.00
3	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	पौध	10	10.00
	योग- रोपण के प्रथम वर्ष का				104.00
	योग-:			<b>SAY</b>	<b>104.00</b>

वन क्षेत्राधिकारी  
बागेश्वर वन क्षेत्र  
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

परिवहन अधिकारी  
बागेश्वर

रोपण के बाद द्वितीय वर्ष					
1	12 माह का अनुरक्षण कार्य	1	पौध	50	50.00
2	भूमि व जल संरक्षण कार्य	1	पौध	55	44.00
3	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	पौध	10	10.00
योग- रोपण के द्वितीय वर्ष का					104.00
योग-:				SAY	104.00
रोपण के बाद तृतीय वर्ष					
1	12 माह का अनुरक्षण कार्य	1	पौध	50	50.00
2	भूमि व जल संरक्षण कार्य	1	पौध	55	44.00
3	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	पौध	10	10.00
योग- रोपण के तृतीय वर्ष का					104.00
या-:				SAY	104.00
रोपण के बाद चतुर्थ वर्ष					
1	12 माह का अनुरक्षण कार्य	1	पौध	50	50.00
2	भूमि व जल संरक्षण कार्य	1	पौध	55	44.00
3	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	पौध	10	10.00
योग- रोपण के चतुर्थ वर्ष का					104.00
योग-:				SAY	104.00
रोपण के बाद पंचम वर्ष					
1	12 माह का अनुरक्षण कार्य	1	पौध	50	50.00
2	भूमि व जल संरक्षण कार्य	1	पौध	55	44.00
3	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	पौध	10	10.00
योग- रोपण के पंचम वर्ष का					104.00
योग-:				SAY	104.00
रोपण के बाद षष्ठम वर्ष					
1	12 माह का अनुरक्षण कार्य	1	पौध	50	50.00
2	भूमि व जल संरक्षण कार्य	1	पौध	55	44.00
3	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	पौध	10	10.00
योग- रोपण के षष्ठम वर्ष का					104.00
योग-:				SAY	104.00
रोपण के बाद सप्तम वर्ष					
1	12 माह का अनुरक्षण कार्य	1	पौध	50	50.00
2	भूमि व जल संरक्षण कार्य	1	पौध	55	44.00
3	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	पौध	10	10.00
योग- रोपण के सप्तम वर्ष का					104.00
योग-:				SAY	104.00
रोपण के बाद अष्टम वर्ष					
1	12 माह का अनुरक्षण कार्य	1	पौध	50	50.00
2	भूमि व जल संरक्षण कार्य	1	पौध	55	44.00
3	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	पौध	10	10.00
योग- रोपण के अष्टम वर्ष का					104.00
योग				SAY	104.00


  
 क्षेत्राधिकारी  
 पुष्कर वन क्षेत्र  
 पुष्कर प्रभाग बागेश्वर


रोपण के बाद नवम वर्ष				
1	12 माह का अनुरक्षण कार्य	1	पौध	50.00
2	भूमि व जल संरक्षण कार्य	1	पौध	44.00
3	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	पौध	10.00
योग- रोपण के नवम वर्ष का				104.00
योग				SAY 104.00
रोपण के बाद दशम वर्ष				
1	12 माह का अनुरक्षण कार्य	1	पौध	50.00
2	भूमि व जल संरक्षण कार्य	1	पौध	44.00
3	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	पौध	10.00
योग- रोपण के दशम वर्ष का				104.00
योग				SAY 104.00
प्रति है० रेट (कुल योग-:)				1610.00

1-प्रति पौध व्यय धनराशि:- 1610

2-1500 पौधों के वृक्षारोपण हेतु धनराशि -1500X 1610=24,15,000.00


कुल धनराशि रू० - 24,15,000.00मात्र

  
वन सहायक अधिकारी  
बागेश्वर वन क्षेत्र  
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

  
प्रभागीय वनाधिकारी  
बागेश्वर वन प्रभाग  
बागेश्वर

  
सहायक अधिकारी

# PLANTATION SCHEME FOR 1500 TREES




Coordinate of Proposed Site		
Id	Latitude	Longitude
1	29.818300	79.791901
2	29.818501	79.791801
3	29.819201	79.791702
4	29.819500	79.791801
5	29.819799	79.792297
6	29.819401	79.792900
7	29.819000	79.792999
8	29.818800	79.792999
9	29.818300	79.792397

- Legend**
- GPS Location
  - Proposed Site

तृतीय क्षेत्राधिकारी  
 वन विभाग  
 वन विभाग

क्षेत्राधिकारी  
 वन विभाग  
 वन विभाग


क्षेत्राधिकारी  
 वन विभाग  
 वन विभाग



# PLANTATION SCHEME FOR 1500 TREES

Toposheet 7

पत्र संख्या - 24



## Legend

Proposed site

1: 50,000


0 1 2 4 Km

[Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a large signature at the top left and various official stamps and notes.]

—: जनपद बागेश्वर में परिवहन विभाग हेतु :- 1. अन-आवासीय कार्यालय भवन,  
 2. ऑटोमेटेड ड्राइविंग टैस्टिंग ट्रैक तथा 3 ट्रैफिक अवेयरनेस सैन्टर का निर्माण:-  
**Google Map of the land proposed for Plantation of 1500 Plants**



1500 वृक्षा के रोपण हेतु चयनित भूमि ।



चयनित  
भूमि

*[Signature]*  
 वन क्षेत्राधिकारी  
 बागेश्वर वन क्षेत्र  
 बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

उप-प्रभागीय वनाधिकारी  
 बागेश्वर

*[Signature]*  
 प्रभागीय वनाधिकारी  
 बागेश्वर वन प्रभाग  
 बागेश्वर



## प्रपत्र-11

## परियोजना का नाम :-

1. जनपद बागेश्वर में नगरपालिका बागेश्वर के अन्तर्गत चण्डिका वार्ड के गाडगॉव में परिवहन विभाग हेतु :-  
अन-आवासीय कार्यालय भवन, 2. ऑटोमेटेड ड्राईविंग टैस्टिंग ट्रैक तथा 3 ट्रेफिक अवेयरनेस सैन्टर का निर्माण

## प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि की मांग का पूर्ण औचित्य दर्शाते हुए विस्तृत आख्या

महोदय यह प्रस्तुत करना है कि परिवहन विभाग द्वारा पूर्व में मुख्यालय कार्यालय के पत्र संख्या 1303/नियोजन /2008 दिनांक 09-06-2008 द्वारा 2008-09 के निर्देशानुसार जनपद मुख्यालय बागेश्वर में उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय के भवन निर्माण हेतु 0.40 हे० आरक्षित भूमि का प्रस्ताव भेजा गया था। जिसको अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षक देहरादून के पत्रांक 2525 वन/जी- 3256 बागे० दिनांक 07-05-2015 मैरिट के आधार पर आरक्षित वन भूमि होने के कारण निरस्त करते हुए निर्दिष्ट किया गया था कि आरक्षित वन भूमि के स्थान पर अन्य भूमि में समूचित नया प्रस्ताव तैयार कर ऑनलाईन प्रेषित किया जाए

- इसी क्रम में मुख्यालय कार्यालय द्वारा वर्ष 2008 के पत्रांक 1303/नियोजन /2008 दिनांक 09-06-2008 से प्रारम्भ करते हुए वर्ष 2019 के पत्रांक 928/नियोजन /13-70-2019 दिनांक 14.03.2019 तक अपने विभिन्न पत्रों द्वारा जनपद बागेश्वर में परिवहन अन-आवासीय कार्यालय भवन निर्माण हेतु भूमि चयन के आदेश दिए गए।
- इस सम्बन्ध में मुख्यालय कार्यालय के पत्रांक 101 /नियोजन/2008-09 दिनांक 19-01-2009 द्वारा यह भी सूचित किया गया कि कार्यालय भवन निर्माण हेतु वर्ष 2008-09 में ही परिव्यय एवं बजट का प्रावधान कर दिया गया था परन्तु दीर्घावधि तक उपयुक्त भूमि चयन एवं हस्तांतरण न होने के कारण यह परियोजना वर्तमान तक भी लम्बित है।
- परियोजना के द्वितीय भाग में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के निदेशों के अनुपालन में मुख्यालय कार्यालय द्वारा उनके पत्रांक 5345/नियोजन /13-113 /2017 दिनांक 26-08-2013से प्रारम्भ करते हुए अपने विभिन्न पत्रों द्वारा जनपद बागेश्वर में ड्राईविंग लाईसैस आवेदकों के परीक्षण के लिए म ऑटोमेटेड ड्राईविंग टैस्टिंग ट्रैक हेतु लगभग 4000 वर्ग मीटर भूमि चयन हेतु निर्दिष्ट किया गया।
- परियोजना के तृतीय भाग के अन्तर्गत रिट याचिका संख्या 2112/एम०एस/2021 अरुण कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन में मुख्यालय कार्यालय के पत्रांक 419/नियोजन /13/161 /2019 दिनांक 06-02-2020 तथा 2171 /नियोजन/13-161/2021 दिनांक के द्वारा 05-08-2021 के द्वारा सभी जनपदों में निरूद्ध वाहनों को खड़ा करने तथा यातायात नियमों के उल्लंघनकर्ता चालाकों के काउंसिलिंग हेतु ट्रेफिक अवेयरनेस सैन्टर भवन विकसित किये जाने हेतु भूमि चयन/आवंटन के निर्देश दिए गए हैं।

महोदय उक्त के अनुपालन में उचित तथा पर्याप्त भूमि चयन हेतु परिवहन विभाग द्वारा पत्राचार के फलस्वरूप जिला प्रशासन द्वारा वर्तमान में नगरपालिका बागेश्वर के अन्तर्गत चण्डिका वार्ड के गाडगॉव में परिवहन विभाग हेतु :-1. अन-आवासीय कार्यालय भवन, 2. ऑटोमेटेड ड्राईविंग टैस्टिंग ट्रैक तथा 3 ट्रेफिक अवेयरनेस सैन्टर के निर्माण हेतु कुल 0.740 हे० भूमि / गैर कृषि भूमि (0.420 हे० सिविल सोयम भूमि, 0.320 हे० वन पर्यायत भूमि) चिन्हित कर उपलब्ध कराई गई है।

जनपद में तथा विशेषकर जनपद मुख्यालय, जो कि जन सुविधा के दृष्टिगत परियोजना निर्माण हेतु एकमात्र उपयुक्त स्थल है तथा जहाँ पर उक्त परियोजना स्थापित की जा सकती है, में अन्य कहीं भी उचित तथा पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं है अथवा कोई भी वैकल्पिक संरेखण उपलब्ध नहीं है। प्रपत्र 04/संयुक्त निरीक्षण आख्या के अनुसार भी परियोजना निर्माण हेतु अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। संयुक्त निरीक्षण समिति ने भी भूमि की मांग के अनुरूप चिन्हित स्थल को सर्वथा औचित्यपूर्ण पाया है।

निर्देशों/पत्रांकों की छायाप्रति प्रपत्र 04 संलग्न है।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी  
बागेश्वर  
(कृष्ण चन्द्र पलडिया)  
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी  
प्रयोक्ता एजेन्सी

प्रपत्र-13

—: परियोजना का नाम :-

—: जनपद बागेश्वर में नगरपालिका बागेश्वर के अन्तर्गत चण्डिका वार्ड के गाडगॉव में परिवहन विभाग हेतु :-

1. अन-आवासीय कार्यालय भवन, 2. ऑटोमेटेड ड्राइविंग टैस्टिंग ट्रैक तथा 3 ट्रैफिक अवेयरनेस सैन्टर का निर्माण

विभिन्न विकल्पों का तुलनात्मक विवरण व उनके निरस्त किये जाने का कारण का प्रमाण पत्र

संरेखण न0	प्रभावित वन पंचायत (हे0में)	प्रभावित वृक्षों की संख्या	मार्ग की लम्बाई	अन्य कारण (एच.पी.बैण्ड व अन्य भू- गर्भीय कारण)
-----------	-----------------------------	----------------------------	-----------------	--

संरेखण-1

➤ प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु अन्य उचित विकल्प संरेखण पर उपलब्ध नहीं है

(दीपिका अग्रवाल)  
तहसीलदार, बागेश्वर

(श्याम सिंह करायत)  
वन क्षेत्राधिकारी

(कृष्ण बन्दु सलडिया)  
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी  
प्रयोक्ता एन.सी.  
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी  
बागेश्वर

(हर गिरी)  
उप जिलाधिकारी, बागेश्वर  
उपजिलाधिकारी  
बागेश्वर

(हिमाशु बागरी)  
प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर

प्रपत्र-14

-: परियोजना का नाम :-

-: जनपद बागेश्वर में नगरपालिका बागेश्वर के अन्तर्गत चण्डिका वार्ड के गाडगॉव में परिवहन विभाग हेतु :- 1.  
अन-आवासीय कार्यालय भवन, 2. ऑटोमेटेड ड्राइविंग टैस्टिंग ट्रैक तथा 3 ट्रैफिक अवेयरनेस सेंटर का निर्माण

वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की माँग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र

इस सम्बन्ध में यह प्रस्तुत करना है कि पूर्व में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा पूर्व में भी केवल कार्यालय भवन निर्माण हेतु 0.40 हे० आरक्षित भूमि का प्रस्ताव भेजा गया था। जिसको द्वारा अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षक देहरादून के पत्रांक 2825/वन/जी- 3256 बाग० दिनांक 07-05-2015 मरिट के आधार पर निरस्त करते हुए निर्दिष्ट किया गया था कि आरक्षित वन भूमि के स्थान पर अन्य भूमि में समूचित नया प्रस्ताव तैयार कर ऑनलाईन प्रेषित किया जाए।

वर्तमान में परिवहन विभाग में एकाधिक प्रयोजनों यथा कार्यालय भवन, मैदान पर ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक तथा ट्रैफिक अवेयरनेस सेंटर भवन का निर्माण किया जाना है। इन प्रयोजनों हेतु जनपद में अन्य कोई भी भूमि विकल्प उपलब्ध नहीं है।

अतः प्रमाणित किया जाता है कि -

- उपर्युक्त प्रयोजन हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है व चयनित भूमि पर ही परियोजना का निर्माण किया जा सकता है।
- आवेदित 0.740 हे० वन भूमि (0.420 हे० सिविल सोयम भूमि, 0.320 हे० वन पंचायत भूमि) की माँग न्यूनतम है व इससे कम वन भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य किया जाना सम्भव नहीं है।

(दीपिका आर्या)  
तहसीलदार, बागेश्वर

(रमेश सिंह करायत)  
वन क्षेत्राधिकारी

(कृष्ण चन्द्र पलाडिया)  
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी  
प्रयोक्ता एजेन्सी

(हर गिरी)  
उप जिलाधिकारी, बागेश्वर  
उप जिलाधिकारी

(हिमांशु बागरी)  
प्रभागीय वनोधिकारी, बागेश्वर

(विनीत कुमार)  
जिलाधिकारी बागेश्वर

# उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय, बागेश्वर।

30

Email- artobag-trans-uk@nic.in

पत्र संख्या:- 809 / सामा0 प्रशा0/भूमि चयन/2022-23

दिनांक 15-11-2022।

सेवा में,

संयुक्त परिवहन आयुक्त,  
उत्तराखण्ड,  
देहरादून।

विषय-

उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय, बागेश्वर हेतु भूमि के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहादून का पत्रांक 08 बी / यू0सी0पी0 / 09 / 69 / 2022 / एफ0सी0 / 967 दिनांक 11-10-2022 तथा इस कार्यालय का पत्रांक 808 / सामा0 प्रशा0 / भूमि चयन / 2022-23 दिनांक 11-11-2022।

महोदय,

इस कार्यालय के उपर्युक्त सन्दर्भित पत्र के कम में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहादून के उपर्युक्त सन्दर्भित पत्रांक के माध्यम से EDS QUIRY द्वारा कार्यालय भूमि प्रस्ताव पद दर्ज आपत्ति संख्या 05 को निम्नावर्णित संशोधित निराकरण / Query Resolution. के अनुसार समाधान किया जाना है।

Query Sl No	Query Raised	Query Resolution.
5	State Government is requested to provide the specific norms for the lay Out and Dimentions of the prosed activity duly aproved by the concerned authority.	<p><b>Specific norms for the lay Out and Dimentions of the prosed activity</b> क सम्बन्ध में प्रस्तुत करना है कि उक्त परियोजना तीन भागों में निर्मित होनी है। चाही गई जानकारी क सम्बन्ध में निम्न बिन्दु प्रस्तुत हैं-</p> <p><b>1. प्रथम भाग-</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ अर्थात कार्यालय भवन/परिसर तथा उसके घटकों के निर्माण सम्बन्धी <b>specefic norms for lay out Dimenstions</b> के सम्बन्ध में प्रस्तुत करना है कि उक्त परियोजना हेतु किसी निर्धारित <b>lay out Dimenstion</b> का प्रावधान नहीं होता है। अपितु इसका निर्माण कार्यालय में किये जाने वाले जन कार्यों की आवश्यकता के दृष्टिगत किया जाता है।</li> <li>○ कार्यालय परिसर निर्माण हेतु संशोधित <b>lay out</b> तथा <b>Dimentions</b> प्रपत्र 32.1, 32.2 में प्रदर्शित कर संलग्न कर दिये गए है।</li> <li>○ उक्त <b>lay out</b> प्लान में दर्शित कार्यालय भवन तथा उसके अन्य घटकों की निर्माण तथा भूमि की आवश्यकता को <b>Lay Out</b> प्रपत्र 32.1 तथा 32.2 के साथ संलग्न <b>Lay Out - विस्तृत विवरण</b> में पूर्ण रूप से दर्शा दिया गया है।</li> </ul> <p><b>2. द्वितीय भाग-</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ परियोजना के द्वितीय भाग के रूप में बन्द वाहनो हेतु अभिरक्षा भवन <b>coencelleing</b> हॉल एवं सभागार कक्ष के रूप में टफिक अवेरनेस सेन्टर का निर्माण किया जाना है। उक्त के <b>specefic norms for lay out / Dimentions</b> के सम्बन्ध में प्रस्तुत करना है कि उक्त परियोजना हेतु भी किसी निर्धारित <b>lay out / Dimenstion</b> का प्रावधान नहीं होता है। अपितु इसका निर्माण भी कार्यालय में बन्द किये जाने वाले वाहनो, चालकों की प्रदान की जाने वाली काउन्सिलिंग आदि की आवश्यकता के दृष्टिगत किया जाता है।</li> <li>○ टफिक अवेरनेस सेन्टर निर्माण हेतु संशोधित <b>lay out/ Dimentions</b> प्रपत्र 32.3 में प्रदर्शित कर संलग्न कर दिये गए है।</li> <li>○ उक्त <b>lay out</b> प्लान में दर्शित टफिक अवेरनेस सेन्टर तथा उसके अन्य घटकों की निर्माण तथा भूमि की आवश्यकता को <b>Lay Out</b> प्रपत्र 32.3 के साथ संलग्न</li> </ul>

संयुक्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी  
बागेश्वर

**Lay Out** – विस्तृत विवरण में पूर्ण रूप से दर्शा दिया गया है।

### 3. तृतीय भाग-

- परियोजना के तृतीय भाग में 4000 वर्ग मीटर (0.40 है०) भूमि पर दो पहिया तथा चार पहिया ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक का निर्माण किया जाना है।
- उक्त हेतु भी संशोधित lay out/ Dimentions प्रपत्र 32. 4 में प्रदर्शित कर संलग्न कर दिये गए है।

- उक्त lay out प्लान में दर्शित ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक तथा उसके अन्य घटकों की निर्माण तथा भूमि की आवश्यकता को Lay Out प्रपत्र 32.4 के साथ संलग्न

**Lay Out** – विस्तृत विवरण में पूर्ण रूप से दर्शा दिया गया है।


- माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों के अनुपालन में यह ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक का निर्माण प्रत्येक कार्यालय में किया जाना है।
- मुख्यालय कार्यालय द्वारा उनके पत्रांक 5345/नियोजन /13-113 /2017 दिनांक 26-08-2017 से प्रारम्भ करते हुए वर्तमान तक अपने विभिन्न पत्रों द्वारा जनपद बागेश्वर में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक हेतु लगभग 4000 वर्ग मीटर भूमि चयन हेतु निर्देशित किया गया है।
- इस भाग हेतु 4000 वर्ग मीटर (0.40 है०) भूमि की आवश्यकता उपर्युक्तानुसार स्वतः स्पष्ट है।

❖ अतः महोदय से अनुरोध है कि उक्त परियोजना हेतु निर्धारित lay out / Dimention का प्रावधान नहीं है। परियोजना का निर्माण किये जाने वाले कार्यों हेतु परियोजना की आवश्यकता, भौगोलिक दशा के अनुरूप किया जाना होता है। परियोजना की आवश्यकतानुसार ही संशोधित ले-आउट प्लान तैयार कर प्रपत्र 32.1, 32.2, 32.3, 32.4 के रूप में दर्शाते हुए परियोजना के प्रत्येक घटक का विवरण प्रदर्शित कर lay out के साथ संलग्न विस्तृत विवरण में दिया गया है।

❖ अतः महोदय से अनुरोध है कि संशोधित ले-आउट प्लान तथा संलग्न विस्तृत विवरण के अनुसार परियोजना के भाग 01 तथा भाग 02 क्रमशः कार्यालय परिसर तथा टैफिक अवेयरनेस सेन्टर हेतु कुल 0.34 है० भूमि तथा परियोजना के भाग 03 ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक हेतु उपर्युक्तानुसार कुल 0.40 है० भूमि, इस प्रकार परियोजना की कुल भूमि 0.74 है० न्यूनतम आवश्यक एवं अपरिहार्य है।

उपर्युक्त के दृष्टिगत महोदय से सादर निवेदन है कि आपत्तियों के निराकरण हेतु इस कार्यालय द्वारा प्रस्तुत संशोधित ले-आउट प्लान, ले-आउट प्लान का विस्तृत विवरण, को उपर्युक्त वर्णित आपत्ति संख्या 05 के निराकरण हेतु जैसा की सम्बन्धित कार्यालय द्वारा चाहा गया है, अनुमोदित करने की कृपा करना चाहें।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,  
  
 सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,  
 बागेश्वर।


सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,  
 बागेश्वर।


सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,  
 बागेश्वर।

संख्या

( )/ उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि सम्भागीय परिवहन अधिकारी महोदय, प्रशासन, अल्मोडा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।





## परियोजना के संशोधित ले-आउट प्लान का संक्षिप्त विवरण

महोदय प्रस्तुत करना है कि प्रस्तावित परियोजना में तीन उप परियोजनाएं सम्मिलित हैं प्रथमतः कार्यालय अनआवासीय भवन द्वितीयतः ट्रैफिक अवेसरनेस सेन्टर तथा तृतीयतः ऑटोमैटेड ड्राइविंग टैस्टिंग ट्रैक का निर्माण से सम्बन्धित संशोधित ले-आउट प्लान (प्रपत्र 32.1, 32.2, 32.3, 32.4) की संक्षिप्त रूपरेखा निम्नवार प्रस्तुत है।

परियोजना	परियोजना के घटक	अभ्युक्ति का विवरण
<p style="text-align: center;"><b>I.</b> <b>अन-आवासीय</b> <b>कार्यालय</b> <b>परिसर,</b></p> <p>कुल क्षेत्रफल <b>0.2285 है०</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>कार्यालय भवन <b>{.1482 Ha}</b></li> <li>दो पहिया वाहनों की सर्वजनिक पार्किंग का स्थल <b>{.010144 Ha}</b></li> <li>लॉन / खुला स्थान <b>{.035543 Ha}</b></li> <li>आन्तरिक वाहन मार्ग का निर्माण <b>{.034537 Ha}</b></li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>कार्यालय भवन के अन्तर्गत प्रथमतः विभिन्न वाहन सेवाओं, वाहन टैक्स सम्बन्धी कार्य, द्वितीयतः वाहन फिटनेस सम्बन्धित कार्य तृतीयतः चालक / सारथी सेवाओं के अन्तर्गत ड्राइविंग लाइसेंस हेतु बॉयोमैट्रिक ऑनलाइन प्रपत्रों की जांच, कम्प्यूटर ऑनलाइन टैस्ट, सिमियुलेटर टैस्ट आदि कार्य हेतु तथा प्रवर्तन शाखा के अन्तर्गत प्रवर्तन दल द्वारा किए जाने वाले कार्य तथा सम्बन्धित उपकरणों के रख-रखाव हेतु कार्यालय भवन की आवश्यकता होती है।</li> <li>कार्यालय में स्टाफ तथा आवेदकों के वाहनों की पार्किंग की आवश्यकता होगी।</li> <li>लॉन/सार्वजनिक खुले स्थान की आवश्यकता होती है।</li> <li>आन्तरिक वाहन मार्ग जिसके द्वारा वाहन पार्किंग, ड्राइविंग टैस्टिंग ट्रैक तथा ट्रैफिक अवेसरनेस सेन्टर पर पहुंचेगी की आवश्यकता होगी।</li> <li>कार्यालय परिसर के अन्तर्गत उपर्युक्त वर्णित विभिन्न कार्यों की आवश्यकता के अनुरूप कार्यालय भवन तथा अन्य घटकों के निर्माण की आवश्यकता के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण संलग्न है।</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>II.</b> <b>ट्रैफिक</b> <b>अवेसरनेस</b> <b>सेन्टर भवन</b></p> <p>कुल क्षेत्रफल <b>0..1115 है०</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>बन्द वाहनों की सुरक्षित अभिरक्षा स्थल <b>{.111496 Ha}</b></li> <li>काउंसलिंग हॉल।</li> <li>समागार कक्ष।</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>रिट याचिका संख्या 2112/एम0एस0/2021 अरुण कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन में सील/निरुद्ध वाहनों के पार्क करने तथा काउंसलिंग भवन हेतु एक <b>ट्रैफिक अवेसरनेस सेन्टर भवन</b> के अनिवार्यतः निर्माण किया जाना है।</li> <li>महोदय उक्त संवेदनशील अभियोगों में दोषी/ नियमों के उल्लंघनकर्ता चालकों को कार्यालय में रोड सेफ्टी संवेदनशीलता के प्रति अनिवार्य काउंसलिंग प्रदान की जानी है जिस हेतु माननीय सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी तथा शासन के नियमानुसार कार्यालय में एक काउंसलिंग भवन हॉल का निर्माण भी आवश्यक है।</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>III.</b> <b>ऑटोमैटेड</b> <b>ड्राइविंग</b> <b>टैस्टिंग ट्रैक</b></p> <p>कुल क्षेत्रफल <b>0.40 है०</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>चौपहिया वाहन टैस्टिंग टैक <b>{.209755 Ha}</b></li> <li>दोपहिया वाहन टैस्टिंग टैक <b>{.037661 Ha}</b></li> <li>मॉनिटर/कन्ट्रोल रूम आन्तरिक मार्ग/खुला स्थान <b>{.074939 Ha}</b> चौपहिया वाहनों की सर्वजनिक पार्किंग का स्थल <b>{.039984 Ha}</b></li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>चालक / सारथी सेवाओं के अन्तर्गत ड्राइविंग लाइसेंस हेतु अभ्यर्थी मैदान/ मार्ग पर चालकता परीक्षण पास करना होता है, जिस हेतु स्वयं के कार्यालय भवन तथा ऑटोमैटेड ड्राइविंग टैस्टिंग ट्रैक का होना अतिआवश्यक है।</li> <li>माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों के अनुपालन में मुख्यालय कार्यालय द्वारा उनके पत्रांक 5345/नियोजन /13-113 /2017 दिनांक 26-08-2017 से प्रारम्भ करते हुए अपने विभिन्न पत्रों द्वारा जनपद बागेश्वर में ड्राइविंग लाइसेंस आवेदकों के परीक्षण के लिए मैदान पर ऑटोमैटेड ड्राइविंग टैस्टिंग ट्रैक हेतु लगभग 4000 वर्ग मीटर भूमि चयन हेतु निर्देशित किया गया है।</li> </ul>

उक्त तीनों परियोजनाओं हेतु प्रस्तावित 0.74 है० भूमि न्यूनतम तथा अपरिहार्य हैं।

परियोजना की कुल अनुमानित लागत 900 लाख है।

महोदय उपर्युक्त तीनों परियोजनाओं तथा उनके अन्तर्निहित घटकों का निर्माण तथा उनकी आवश्यकता के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण संलग्न है।

महोदय  
अभिनेश्वर

अभिनेश्वर


— 22.01

SCHEDULE OF AREA

TOTAL PLOT AREA	7400.65 M <sup>2</sup>
PROJECT 1 TOTAL AREA	2285.04 M <sup>2</sup>
1. OFFICE PREMISES BUILDING AREA	1482.80 M <sup>2</sup>
2. TWO WHEELER PARKING AREA	1014.44 M <sup>2</sup>
3. LAWN AREA	355.43 M <sup>2</sup>
4. INTERNAL ROAD AREA	345.37 M <sup>2</sup>
PROJECT 2 TOTAL AREA	1114.96 M <sup>2</sup>
1. T.A.C. & MEETING HALL AREA	1018.25 M <sup>2</sup>
2. GARAGE AREA	96.71 M <sup>2</sup>
PROJECT 3 TOTAL AREA	4000.00 M <sup>2</sup>
1. TWO WHEELER TEST TRACK	376.61 M <sup>2</sup>
2. FOUR WHEELER TEST TRACK	2087.55 M <sup>2</sup>
3. FOUR WHEELER PARKING	399.84 M <sup>2</sup>
4. LAWN - INTERNAL ROAD - CONTROL ROOM AREA	719.39 M <sup>2</sup>



SIGNATURE OF ARCHITECT



PROJECT - 1

PROJECT - 2

PROJECT - 3

*Handwritten signature and notes in blue ink.*

*Handwritten signature and notes in black ink.*

34

**{ले-आउट/ प्रपत्र 32.2 का विस्तृत विवरण }**  
**परियोजना 01 – कार्यालय परिसर का निर्माण**

कार्यालय परिसर- कार्यालय परिसर के अन्तर्गत 04 घटकों यथा कार्यालय भवन, दो पहिया तथा चार पहिया पार्किंग स्थल, लॉन/ सार्वजनिक स्थान तथा वाहन अन्तरिक मार्ग का निर्माण 0.2285 है० भूमि पर किया जाना प्रस्तावित है।



**घटक 01.1- कार्यालय भवन**

❖ **कार्यालय भवन-**

महोदय परिवहन कार्यालय एक सार्वजनिक जन सेवा का कार्यालय होता है जिसके अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान किए जाने हेतु विभिन्न शाखाएं तथा उन शाखाओं के अन्तर्गत विभिन्न कक्षों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

❖ **कार्यालयाध्यक्ष कक्ष-**

प्रथमतः कार्यालयाध्यक्ष के रूप में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) / ए०आर०टी०ओ० (ए०) का कक्ष निर्मित होना है। महोदय कार्यालयाध्यक्ष के रूप में उक्त कक्ष में स्वयं सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी के बैठने तथा कम्प्यूटर सिस्टम, प्रिंटर, सी०सी०टी०वी० कैमरों की निगरानी आदि की व्यवस्था की जानी होती है। इस कक्ष में विभिन्न रिपोर्ट शासनादेश पत्राचार अन्य गोपनीय पत्रावलियों हेतु रैक अलमारी आदि की व्यवस्था होती है। उक्त कक्ष में एक शौचालय की भी व्यवस्था नितान्त आवश्यक होती है। ए०आर०टी०ओ० (ए०) को विभिन्न विभागीय समस्याओं प्रशासकीय कार्यों से अगवत कराये जाने हेतु विभिन्न आगन्तुक यथा वाहन सेवा/चालक लाईसैंस सेवा/टैक्सी यूनियन के प्रतिनिधि मण्डल आदि समय -2 पर मिलने पहुंचते हैं। उक्त के बैठने हेतु लगभग 20 से 25 व्यक्तियों हेतु कुर्सी आदि की उचित व्यवस्था की जानी होती है।

❖ **सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) / ए०आर०टी०ओ० (ई०) -**

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) / ए०आर०टी०ओ० (ई०) द्वारा प्रवर्तन सम्बन्धित सभी कार्यों का सम्पादन/पर्यवेक्षण किया जाता है। उक्त कक्ष में कम्प्यूटर सिस्टम, प्रिंटर आदि की व्यवस्था की जानी होती है। इस कक्ष में प्रवर्तन सम्बन्धित विभिन्न रिपोर्ट शासनादेश पत्राचार अन्य गोपनीय पत्रावलियों हेतु रैक अलमारी आदि की व्यवस्था होती है। उक्त कक्ष में एक शौचालय की भी व्यवस्था नितान्त आवश्यक होती है। ए०आर०टी०ओ० (ई०) को प्रवर्तन सम्बन्धित विभिन्न विभागीय समस्याओं प्रशासकीय कार्यों से अगवत कराये जाने हेतु विभिन्न आगन्तुक यथा वाहन सेवा/चालक लाईसैंस सेवा/टैक्सी यूनियन के प्रतिनिधि मण्डल आदि समय -2 पर मिलने पहुंचते हैं। उक्त के बैठने हेतु लगभग 20 से 25 व्यक्तियों हेतु कुर्सी आदि की उचित व्यवस्था की जानी होती है।

❖ **परिवहन कर अधिकारी कक्ष-**

कार्यालय में वाहनों से प्राप्त होने वाले विभिन्न करों राजस्व में कमी वृद्धि की देखरेख, बकाया में संचालित वाहनों से वसूली एवं आर०सी० जारी किये जाने की कार्यवाही एवं सड़क सुरक्षा के कार्य, प्रवर्तन सम्बन्धित अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को सम्पादित किया जाता है। उक्त कक्ष में अधिकारी एवं सहायकों के अतिरिक्त आगन्तुकों हेतु स्थान एवं कम्प्यूटरीकृत सामग्री हेतु स्थान की आवश्यकता होती है।

❖ **वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी कक्ष-**

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी द्वारा सामान्य पत्राचार एवं अन्य न्यायालय में लम्बितवादों की पत्रावली सूचना का अधिकार, एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यों का सम्पादन, कार्यालय में प्राप्त राजस्व के अभिलेखों को अद्यतन करना, एवं उच्चाधिकारियों द्वारा जारी दिशा निर्देशों के निर्देशानुसार सामान्य प्रशासन के सभी कार्यों का पर्यवेक्षण एवं सम्पादन किया जाता है।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी  
मुंबई

उक्त के अतिरिक्त गैर विभागीय प्रशासकीय कार्यों यथा जिला प्रशासन के कार्य आदि का सम्पादन तथा पर्यवेक्षण भी किया जाता है। उक्त हेतु इस कक्ष में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के सहायक के रूप में एक कनिष्ठ सहायक कार्य हेतु एक बड़े कक्ष जिसमें महत्वपूर्ण अभिलेखों /रिकार्ड एवं आगतुकों हेतु स्थान की व्यवस्था की जाती है।

#### ❖ सामान्य प्रशासन / प्रशासनिक अधिकारी कक्ष -

कार्यालय में स्थापित सामान्य प्रशासन कक्ष में प्रशासिक अधिकारी एवं अन्य लिपिकों के माध्यम से कार्यालय से सम्बन्धित सामान्य प्रशासन का कार्य सम्पादित किया जाता है। उक्त कार्य में कार्यालय के सभी अनुभागों से सम्बन्धित सामान्य प्रशासन का कार्य सम्पादित किये जाने हेतु अलग कम्पाटमेन्ट की व्यवस्था होती है। जिसमें सामान्य प्रशासन से सम्बन्धित अद्यतन अभिलेखों को भी व्यवस्थित किया जाता है। उक्त कक्ष में समय -2 पर प्रशासकीय लघु बैठकों को आयोजन भी उक्त कक्ष में किया जाता है।

#### ❖ लेखाकार कक्ष-

उक्त कक्ष में एक लेखाकार के माध्यम से विभागीय लेखा आय-व्यय से सम्बन्धित कार्य, कर्मचारियों के वेतन भत्तों का भुगतान कर्मचारियों की सर्विस बुक का अद्यतनीकरण का कार्य, व्यक्तिगत पत्रावलियों का अद्यतनीकरण/रख-रखाव का कार्य, सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्राप्त धनराशि को प्राप्तकर्ता वाहन स्वामियों के खातों में अंतरण किया जाना एवं लेखा से सम्बन्धित समस्त कार्यों का सम्पादन उक्त अनुभाग में सम्पादित किया जाता है।

#### ❖ प्रतीक्षालय कक्ष-

इस कक्ष में समस्त जनपद के निवासियों जिन्हें प्रतिदिन कार्यालय में किसी न किसी कार्य से परिवाहन सम्बन्धित यथा लाईसैंस, वाहन का पंजीयन, चालान निस्तारण, वाहनों का फिटनेस, वाहनों के प्रपत्र प्राप्त करना, अन्य महत्वपूर्ण कार्य हेतु आना जाना लगा रहता है जिससे कार्यालय में प्रतिदिन काफी संख्या में आम जनों को आना होता है। उक्त अवधि में आवेदकों को अपने कार्य की बारी का इन्तजार भी करना होता है जिससे उन्हें टोकन प्रदान किया जाता है एवं उनके निर्धारित समयवधि का स्लोट आवंटन के पश्चात उन्हें कार्य हेतु बुलाये जाने की व्यवस्था है। अतः उक्त के दृष्टिगत कार्यालय में प्रतीक्षालय की नितान्त आवश्यकता होती है उक्त बड़े कक्ष में आवेदकों हेतु बैठने की उचित व्यवस्था शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, ऑनलाईन टोकन की मशीन की व्यवस्था एवं अन्य उपकरणों को लगाये जाने की व्यवस्था है।

#### ❖ सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) कक्ष -

उक्त कक्ष में तैनात अधिकारी सम्भागीय निरीक्षक प्राविधिक द्वारा प्रथम चरण में वाहन फिटनेस का कार्य सड़क अथवा मैदान पर किया जाता है। व्यववायिक वाहनों के अर्द्धवार्षिक, वार्षिक, एवं द्विवार्षिक आधार पर वाहनों का तकनीकी निरीक्षण, फिटनेस का कार्य, निजी वाहनों का नवीनीकरण का कार्य, स्थायी लाईसैंस टैस्ट सम्बन्धित कार्य, राजकीय वाहनों में आवश्यक कार्य किये जाने की आज्ञा प्रदान किया जाना, दुर्घटनाग्रस्त वाहनों की जांच का कार्य आदि महत्वपूर्ण कार्य सम्पादित किये जाते हैं। उक्त कार्यों हेतु इस कक्ष में कम्प्यूटर प्रिंटर पत्रावलियों के रख-रखाव अलमारियों की व्यवस्था के साथ-2 उक्त अधिकारी एवं सम्बन्धित सहायक एवं आगन्तुक/आवेदकों हेतु बैठने की अनिवार्य व्यवस्था की जाती है।

## ❖ लाईसैस शाखा / कक्ष -

परिवहन कार्यालय में चालको को वाहन के लाईसैस जारी किये जाने हेतु शिक्षार्थी लाईसैस तथा उसके एक माह पश्चात स्थायी लाईसैस जारी किया किये जाने का कार्य किया जाता है जिसमें शिक्षार्थी लाईसैस एवं स्थायी लाईसैस हेतु एकाधिक कक्षों की व्यवस्था रहती है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नप्रकार प्रेषित है-

## शिक्षार्थी लाईसैस जारी किये जाने हेतु कक्ष का संक्षिप्त विवरण-

प्रथम चरण	लाईसैस हेतु कक्ष का विवरण	अभ्युक्ति
	ऑनलाईन प्रपत्रों की जांच (Document Verification) का काउन्टर	उक्त कक्ष में आवेदकों के आवेदन तथा अन्य प्रपत्रों यथा पता प्रमाण, जन्म तिथि प्रमाण पत्र आदि की जांच / स्कूटनी का कार्य एक लिपिक के माध्यम से किया जाता है।
	बायोमेट्रिक काउन्टर	आवेदकों के प्रपत्रों की ऑनलाईन जांच के उपरान्त इस कक्ष में आवेदकों की बायोमेट्रिक का कार्य, बायोमेट्रिक फोटो कैप्चर, बायोमेट्रिक सिग्नेचर आदि कार्य सम्पादित किया जाता है।
शिक्षार्थी लाईसैस चरण-	कक्ष शिक्षार्थी लाईसैस टैस्ट का कक्ष	उपर्युक्त प्रक्रिया के पश्चात आवेदकों को कम्प्यूटर आधारित ऑनलाईन परीक्षा से गुजरना होता है। परीक्षा कक्ष में लगभग 10 स्थापित कम्प्यूटरों के माध्यम से उक्त परीक्षा सम्पादित की जाती है। उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को शिक्षार्थी लाईसैस जारी कर दिया जाता है।

शिक्षार्थी लाईसैस जारी होने के एक माह पश्चात एवं छः माह की अवधि तक आवेदक को स्थायी लाईसैस हेतु आवेदन करना होता है।

द्वितीय चरण	ऑनलाईन प्रपत्रों की जांच ( Document Verification ) का काउन्टर	उक्त कक्ष में आवेदकों के आवेदन तथा अन्य प्रपत्रों यथा पता प्रमाण, जन्म तिथि प्रमाण पत्र आदि की जांच / स्कूटनी का कार्य एक लिपिक के माध्यम से किया जाता है।
	कक्ष बायोमेट्रिक काउन्टर	आवेदकों के प्रपत्रों की ऑनलाईन जांच के उपरान्त इस कक्ष में आवेदकों की बायोमेट्रिक का कार्य, बायोमेट्रिक फोटो कैप्चर, बायोमेट्रिक सिग्नेचर आदि कार्य सम्पादित किया जाता है।
	कक्ष स्थायी लाईसैस टैस्ट कक्ष (सिम्युलेटर परीक्षा कक्ष)	उक्त प्रक्रिया के पश्चात आवेदकों की सम्युलेटर के माध्यम से परीक्षा की व्यवस्था है। कार्यालय में एक 03 स्क्रीन युक्त कार के आकार की सम्युलेटर मशीन उक्त कक्ष में स्थापित रहती है। जिसमें अभ्यर्थियों ड्राईविंग टैस्ट देने के पश्चात परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है।
स्थायी लाईसैस चरण	कक्ष लाईसैस पिंटिंग का काउन्टर	उक्त परीक्षा के पश्चात प्रत्येक उत्तीर्ण आवेदनकर्ता को अपने वाहन सहित ड्राईविंग ट्रेक पर ड्राईविंग परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है। यह ट्रेक कार्यालय पार्सर से संलग्न लगभग 4,000 वर्गमीटर में बनाया जाना प्रस्तावित है। विवरण पृथक से संलग्न है।
	कक्ष लाईसैस से सम्बन्धित अन्य कार्य किये जाने का कक्ष	सफल अभ्यर्थियों को इस काउन्टर के माध्यम से लाईसैस प्रिंट कर उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की जाती है।
		उक्त कक्ष में पूर्व में जारी लाईसैसों के नवीनीकरण का कार्य, पता परिवर्तन का कार्य, परिचालक लाईसैस जारी किया जाना, इन्टरनेशनल चालक परमिट जारी करना, लाईसैस की फोटो आदि में परिवर्तन लाईसैस का अद्यतनीकरण आदि का कार्य विभिन्न काउन्टर्स के माध्यम से किया जाता है।

❖ कर पंजीयन शाखा/कक्ष -

उक्त शाखा में एक रोकड कक्ष एवं कर पंजीयन अथवा वाहनों के अन्य कार्यों हेतु अन्य विशाल कक्ष/हॉल जिसमें न्यूनतम - 10 काउन्टर/कक्षों की नितान्त व्यवस्था होती है की आवश्यकता का संक्षिप्त विवरण निम्नप्रकार है-

शाखा	वाहनों से सम्बन्धित कार्य	अभ्युक्ति
कर पंजीयन शाखा/कक्ष	कक्ष	उक्त कक्ष के माध्यम से वाहनों पर देय कर जमा एवं अन्य देयकों का भुगतान हेतु कक्ष निर्धारित रहता है। उक्त कक्ष में एक बड़े आकार की तिजोरी स्थापित रहती है। जिसमें प्रभाषी रोकड द्वारा कार्य सम्पादित किया जाता है। देयकों को प्राप्त करते हुए धनराशि को तिजोरी में जमा करते हुए अगले कार्य दिवस को बैंक में जमा किया जाता है।
	वाहनों के प्रपत्रों को तैयार एवं जांच का काउन्टर	प्रथम चरण में किसी भी वाहन के पंजीयन के प्रपत्रों को सुव्यवस्थित रूप से फाईलिंग करते हुए वाहन के प्रपत्रों में अंकित बिल आदि का मिलान, वाहन स्वामी द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में हस्ताक्षर आदि की जांच का कार्य एवं वाहन के चैसिस सत्यापन का कार्य उक्त कक्ष में किया जाता है।
हॉल	निजी वाहनों का पंजीयन काउन्टर	उक्त कक्ष में प्रथमतः वाहनों के प्रपत्रों की जांच का कार्य एक लिपिक के माध्यम से सम्पादित किया जाता है।
	नए वाहनों के पंजीयन की पत्रावली काउन्टर	उक्त के पश्चात प्रधान लिपिक अथवा प्रशासनिक अधिकारी द्वारा प्रपत्रों का वेरिफिकेशन का कार्य सम्पादित किया जाता है।
	व्यवसायिक वाहनों के का पंजीयन एवं वाहन की एनओसी जारी किये जाने का कार्य काउन्टर	उक्त काउन्टर के माध्यम से व्यवसायिक वाहनों का पंजीयन एवं वाहन का अनापत्ति प्रमाण पत्र अन्य जनपदों अन्य राज्यों को जारी किये जाने का कार्य उक्त कक्ष के माध्यम से सम्पादित किया जाता है।
	वाहन की एनओसी जारी किये जाने का कार्य काउन्टर	कार्यालय में अन्य राज्यों एवं राज्य के अन्य जनपदों में वाहन का अनापत्ति प्रमाण ले जाने वाले वाहन स्वामियों हेतु उक्त अलग काउन्टर की व्यवस्था होती है।
	वाहनों के हस्तारण का काउन्टर	पुराने वाहनों को समय -2 पर अनेक वाहन स्वामी किसी अन्य को विक्रय करते हैं उक्त काउन्टर के माध्यम से वाहन हस्तारण का कार्य सम्पादित किया जाता है।
	वाहनों के समर्पण का काउन्टर	व्यवसायिक वाहनों को वित्तीय वर्ष में मार्ग में संचालित नहीं होने की दशा में समर्पित किया जाता है उक्त काउन्टर के माध्यम से यह कार्य किया जाता है।
	सिरीज ए वाहनों का कार्य काउन्टर	उक्त कक्ष में आवंटित विभिन्न सिरीजों में एक सिरीज का कार्य सम्पादित किया जाता है।
	सिरीज बी वाहनों का कार्य काउन्टर	उक्त कक्ष में आवंटित विभिन्न सिरीजों में से बी सिरीज का कार्य सम्पादित किया जाता है।
	सिरीज सी वाहनों का कार्य काउन्टर	उक्त कक्ष में आवंटित विभिन्न सिरीजों में से सी सिरीज का कार्य सम्पादित किया जाता है।
	अन्य सिरीज वाहनों का कार्य काउन्टर	उक्त के पश्चात अन्य आवंटित सिरीज का कार्य सम्पादित किया जाएगा।
	वाहनों से सम्बन्धित अन्य कार्यों का सम्पादन	वाहनों से सम्बन्धित अन्य कार्य उक्त कक्ष के माध्यम से सम्पादित किये जाते हैं। उक्त कक्ष में वाहनों के समर्पण वाहनों में पता परिवर्तन वाहनों के नवीनीकरण एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्य सम्पादित किए जाते हैं।

प्रवर्तन शाखा में आवेदकों के विभिन्न कार्यों हेतु निम्नवर्णित एक सामान्य एवं एक बड़ा हॉल का निर्माण होना है।

शाखा	वाहनों से सम्बन्धित कार्य	अभ्युक्ति
प्रवर्तन शाखा	प्रवर्तन/चालान कक्ष वाद प्रशमन कक्ष	<ul style="list-style-type: none"> <li>● चालान कम्पाउण्डिंग/ चालान निरस्तारण कक्ष में उल्लघनकर्ता अपने चालानों सहित पहुंचते हैं जहाँ पर प्रवर्तन स्टाफ /अधिकारी द्वारा उक्त चालानों की समीक्षा/इन्वेस्टिगेशन कर उल्लघनकर्ताओं पर दण्ड आपरोति किया जाता है।</li> <li>● इस कक्ष में कम्पाउण्डिंग के अतिरिक्त प्रवर्तन दल द्वारा किये गए चालानों का अतिमहत्वपूर्ण रिकार्डों का रख रखाव उल्लघनकर्ताओं से वाद प्रशमित की धनराशि जमा किये जाने एवं प्राप्त धनराशि को बैंक में जमा एवं अन्य आवश्यकत कार्यवाही सम्पन्न की जाती है।</li> </ul>
	प्रवर्तन दल / आपदा रिस्पोन्स कक्ष	<ul style="list-style-type: none"> <li>● महोदय अवगत करना है कि कार्यालय में प्रवर्तन अधिकारियों के साथ प्रवर्तन सिपाहियों की तैनाती भी रहती है। प्रवर्तन दल, बागेश्वर में वर्तमान में 03 प्रवर्तन सिपाही 02 प्रवर्तन पर्यवेक्षक, 01 वरिष्ठ प्रवर्तन पर्यवेक्षक तथा एक चालक तैनात है। उक्त प्रवर्तन दल द्वारा मार्ग प्रवर्तन कार्य के अतिरिक्त मार्ग में किये गए चालानों का कार्यालय में आकर टैब के माध्यम से प्रिंट का कार्य, चालानों को व्यवस्थित करते हुए एवं काईम रजिस्टर में अंकित किए जाने के पश्चात प्रवर्तन शाखा में जमा किये जाने का कार्य होता है।</li> <li>● लोक सभा सामान्य निर्वाचन, विधान सभा सामान्य निर्वाचन आदि में वाहन अधिग्रहण का कार्य सम्पादित किये जाने के पश्चात अधिग्रहीत वाहनों की प्रपत्रों को व्यवस्थित किये जाने का कार्य किया जाता है। निर्वाचन कार्य सम्पादन के पश्चात वाहन स्वामियों को कार्यालय पहुंचकर अधिग्रहण आदेश की प्रति प्राप्त करते हुए अधिग्रहित वाहनों के प्रपत्रों को वापस वाहन स्वामियों को उपलब्ध कराया जाना होता है।</li> <li>● जनपद एक विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला जनपद है जो आपदा के दृष्टिगत अति संवेदनशील क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। जनपद में लैसस्लाईड बादल का फटना भूकम्प की घटना की घटनाएं लगातार घटित होती रहती है। किसी भी आपदा के दौरान उक्त कक्ष में परिवहन विभाग द्वारा आपातकाल परिस्थितियों में वाहनों की उपलब्धता हेतु 24 घण्टे की उपस्थिति बनाई रखनी होती है। उक्त के दृष्टिगत यह कक्ष आपदा रिस्पोन्स कक्ष के रूप में भी निर्मित किया जाना है।</li> <li>● उपर्युक्त के दृष्टिगत एक बड़े हॉल जिसमें तीन प्रवर्तन सिपाहियों, दो प्रवर्तन पर्यवेक्षक, एक वरिष्ठ प्रवर्तन पर्यवेक्षक तथा एक चालक तथा अन्य आवश्यक स्टाफ हेतु उचित स्थान हो, की आवश्यकता होती है।</li> </ul>
	प्रवर्तन उपकरण के रख-रखाव का कक्ष	<ul style="list-style-type: none"> <li>● प्रवर्तन कार्य हेतु आवंटित उपकरणों यथा जिसमें स्पीड रडार गन, एल्कोमीटर, टार्च, छाता, बरसाती, आदि के सुवस्थित रखरखाव हेतु एक अलग कक्ष की आवश्यकता होती है।</li> </ul>

कार्यालय में एक कक्ष डाटा बेस कर्मचारी हेतु अलग से निर्धारित किया गया है। उक्त कर्मचारी एन0आई0सी0 के माध्यम से कार्यालय में कार्यरत रहता है। उक्त कर्मचारी द्वारा ऑन कम्प्यूटर के सभी ऑनलाईन कार्यों की निगरानी एवं कम्प्यूटरीकृत कार्यों में किसी भी रुकावट/समस्या समाधान एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को सम्पादित किया जाता है। उक्त कक्ष में कम्प्यूटर के महत्वपूर्ण उपकरणों स्कैनर प्रिंटर, रिपेयरिंग टूल्स एवं अन्य उपकरणों सहित डी0बी0ए0 के बैठने की उचित व्यवस्था रहती है।

## ❖ इलेक्ट्रनिक कक्ष/सर्वर रूम/ ई-स्टोर रूम-

कार्यालय में स्थापित ऑनलाईन यू0पी0एस0, राउटर, स्विच, इनवर्टर, बैटरी, पावर सप्लाय टूल्स एवं इन्टरनेट को जोड़ने हेतु उपकरणों कार्यालय में स्थापित सर्वर कनेक्टिविटी उपकरणों को जोड़ने के यंत्रों एवं अन्य कम्प्यूटर ई सामग्री के रखरखाव हेतु एक छोटे कक्ष की आवश्यकता होती है।

## ❖ किचन कैन्टीन-

कार्यालय में स्टाफ के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु एक किचन एवं कैन्टीन की व्यवस्था रहती है।

## ❖ रात्री चौकीदार कक्ष-

उक्त कक्ष में कार्यालय की सुरक्षा के दृष्टिगत प्रतिदिन दो चौकीदारों की तैनाती रहती है।

## ❖ रिकार्ड हॉल-

उक्त हॉल में कर पंजीयन से सम्बन्धित वाहनों की पत्रावलियों का रख रखाव लगभग 100 बड़े स्टील रैको के माध्यम से जिसमें वर्तमान स्थिति के अनुसार लगभग 30,000 फाईले जो भविष्य में दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी के रख-रखाव हेतु उक्त हॉल की समुचित व्यवस्था होती है। उक्त हॉल में वाहनों से सम्बन्धित अन्य कार्यों की महत्वपूर्ण पत्रावलियों का रख रखाव पूर्व में मैनुअल रूप में किए गए कार्यों जिसमें वाहनों के देयकों का रिकार्ड आदि रजिस्टर में अंकित किया गया था भविष्य की आवश्यकताओं के दृष्टिगत सुरक्षित रखा जाता है। उक्त अतिरिक्त प्रवर्तन शाखा से भुगतान के प्रपत्रों का रख रखाव निर्वाचन एवं अन्य महत्वपूर्ण देयकों की पत्रावलियों का रख रखाव लाईसैंस से सम्बन्धित आवेदकों के आवेदनों का रख रखाव भी किया जाता है।

## ❖ प्रसाधन कक्ष-

कार्यालय में आने वाले आवेदकों जिन्हें अपना कार्य करते हुए हेतु प्रधान कक्ष की नितान्त आवश्यकता होगी उक्त के अतिरिक्त कार्यालय में कार्यरत स्टाफ /अधिकारी वर्त हेतु भी अलग से एक प्रसाधन कक्ष की आवश्यकता होती है।

## ❖ घटक 01.2-

❖ पार्किंग स्थल का निर्माण-

- परिवहन कार्यालय में अधिकांशतः कार्य वाहन से सम्बन्धित होते हैं। विभिन्न आवेदक वाहन एवं वाहन से सम्बन्धित अन्य महत्वपूर्ण कार्य हेतु अपने वाहन से ही कार्यालय में उपस्थिति होते हैं। अतः विभिन्न कार्यों विशेषतः लाईसैंस टैस्ट, वाहनों की फिटनेस हेतु सभी आवेदकों को आवश्यक रूप से अपने वाहन सहित कार्यालय में उपस्थित होना होता है जिस हेतु पार्किंग की उचित व्यवस्था की जानी होती है।
- उक्त के अतिरिक्त कार्यालय स्टाफ हेतु भी वाहनों की पार्किंग हेतु स्थल की आवश्यकता है।
- अतः पार्किंग स्थल में स्टॉफ पार्किंग, सार्वजनिक दो पहिया वाहन पार्किंग, सार्वजनिक चौपहिया वाहन की पार्किंग की आवश्यकता होगी।

## ❖ घटक 01.3-

❖ लॉन/सार्वजनिक खुला क्षेत्र का निर्माण- ( )

उक्त सार्वजनिक स्थल में विभिन्न कार्यों हेतु आने वाले आवेदकों को खुले स्थान की आवश्यकता होती है। कार्यालय में परिसर के विभिन्न कार्याक्रमों के सम्पादन ध्वजा रोहण, नीलाम वाहनों की सार्वजनिक नीलामी, टैन्ट आदि की व्यवस्था तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्यों हेतु खुले स्थान लॉन / सार्वजनिक स्थल की आवश्यकता होती है।

## ❖ घटक 01.4-

❖ आन्तरिक मार्ग का निर्माण-

महोदय, परियोजना की प्रस्तावित भूमि जिला मार्ग से सटी हुई है, लेकिन यह भूमि प्रारम्भ में जिला मार्ग से लगभग 06 फुट की ऊँचाई पर स्थित है तथा धीरे-2 इसकी उचाई कम होती जाती है। अन्त विन्दु पर सड़क तथा प्रस्तावित भूमि लगभग समान उचाई पर होने से मुख्य प्रवेश द्वार/मार्ग यही पर से बनाया जाना सम्भव है।

अतः कार्यालय में आने वाले सभी वाहन जिन्हें पार्किंग या डाइविंग टेस्टिंग टैक अथवा फिटनेस स्थल पर पहुंचाना है, के लिए कार्यालय से सटी हुई (कार्यालय परिसर तथा जिला मार्ग के मध्य) लगभग 12 फिट मार्ग नितान्त आवश्यकता है।


उक्त के अतिरिक्त कार्यालय में प्रतिदिन 20-25 वाहन फिटनेस स्वास्थ्य जांच हेतु प्रस्तुत होते हैं जिसकी जांच हेतु भी उक्त आन्तरिक वाहन मार्ग अवश्यम्भावी है।



**{ले-आउट/ प्रपत्र 32.3 का विस्तृत विवरण }**  
**परियोजना भाग 02 – ट्रैफिक अवेरनेस सेन्टर भवन का निर्माण**

द्वितीय परियोजना के अन्तर्गत प्रवर्तन दल द्वारा निरूद्ध वाहनों के सुरक्षित अभिरक्षा भवन, काउंसलिंग हॉल सभागार कक्ष तथा विभागीय वाहनों हेतु गैराज का निर्माण निम्न विवरणानुसार किया जाना है।

<p style="text-align: center;"><b>ट्रैफिक अवेरनेस सेन्टर भवन</b></p>	<p><b>1. बन्द वाहनों की सुरक्षित अभिरक्षा स्थल तथा विभागीय गैराज</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● रिट याचिका संख्या 2112/एम0एस/2021 अरुण कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन में सील/निरूद्ध वाहनों के पार्क करने तथा काउंसलिंग भवन हेतु एक <b>ट्रैफिक अवेरनेस सेन्टर भवन</b> के अनिवार्यतः निर्माण किया जाना है।</li> <li>● उक्त परिसर के प्रथम तल/ वैसमेन्ट में मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न अपराधों में बन्द/सीज किए गए हल्के तथा भारी वाहनों को सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाएगा।</li> <li>● वर्तमान में यह कार्य अन्य विभाग यथा पुलिस विभाग की सुरक्षित अभिरक्षा में यह कार्य सम्पादित किया जाता है। परन्तु माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार परिवहन विभाग के प्रत्येक कार्यालय में उक्त अभिरक्षा स्थल का निर्माण किया जाना आवश्यक है।</li> <li>● यह भवन लगभग 50 छोटे एवं बड़े वाहनों की सुरक्षित अभिरक्षा हेतु ट्रैफिक अवेरनेस सेन्टर के प्रथम घटक के रूप में निर्मित किया जाना है।</li> <li>● विभागीय वाहनों ( दो बैलेरो तथा एक इन्टसेप्टर इनोवा वाहन हेतु) एक गैराज भी निर्मित किया जाना है।</li> <li>● उक्त वाहनों की निगरानी हेतु पर्याप्त चौकीदार के रहने की व्यवस्था टायलेट रूम आदि की भी व्यवस्था की जानी होगी।</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>.12 Hactare</b></p>	<p><b>2. काउंसलिंग हॉल। (द्वितीय तल)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● महोदय माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली सड़क सुरक्षा निगरानी समिति के निर्देशानुसार सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत संवेदनशील अभियोगों यथा <b>Drink &amp; Drive, Overspeed, redlight jump, Without Helmet and Setbelt,</b> आदि में दोषी/ नियमों के उल्लघनकर्ता चालकों को कार्यालय में रोड सेप्टी संवेदनशीलता के प्रति अनिवार्य काउंसलिंग प्रदान की जानी है जिस हेतु सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी तथा शासन के नियमानुसार कार्यालय में एक काउंसलिंग भवन हॉल का निर्माण किया जाना है।</li> <li>● उक्त सेन्टर में प्रतिदिन प्रतिभाग करने वाले वाहन चालकों, व्यवसायिक वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक एवं संवेदनशील किया जाना है एवं प्रोजेक्टर के माध्यम से सड़क प्रयोक्ता से सम्बन्धित अद्यतन जानकारियों से प्रतिदिन अवगत कराया जाना है</li> <li>● काउंसलिंग हॉल में उक्त स्थल में ई-लॉबी प्रोजेक्टर, छात्र छात्राओं को सड़क सुरक्षा के प्रति संवेदनशील बनाये जाने हेतु मुख्यालय कार्यालय से प्राप्त सड़क सुरक्षा साहित्य को व्यवस्थित व्यवस्था कम्प्यूटर उपकरणों हेतु स्थान होना आवश्यक है।</li> <li>● उक्त स्थल में जो कि द्वितीय तल में स्थापित होगा उक्त स्थल में आम जनो व्यवसायिक वाहन चालकों, निजी वाहन चालकों, बस परिचालकों, स्कूली छात्र छात्राओं हेतु आयोजित विभिन्न सड़क सुरक्षा प्रतियोगिता आयोजित किये जाने हेतु एक साथ लगभग 200 व्यक्तियों के बैठने का पर्याप्त स्थान की आवश्यकता होती है।</li> <li>● उक्त के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा प्रति वर्ष आयोजित सड़क सुरक्षा माह के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों हेतु प्राप्त सामग्री का रखरखाव वितरण का कार्य एवं व्यवसायिक वाहनों के चालकों का जनपद के चिकित्साधिकारियों के माध्यम से चिकित्सकीय परीक्षण आयोजित किये जाने की व्यवस्था भी उक्त सेन्टर के माध्यम से की जाएगी।</li> </ul>
	<p><b>3. सभागार कक्ष। (द्वितीय तल)</b></p>	<p>उक्त कक्ष में समय -2 पर आयोजित विभिन्न आयोजित सभाओं का आयोजन किया जाता है। उक्त कक्ष में समय -2 पर आयोजित मुख्यालय कार्यालय, जनपद कार्यालय, तहसील कार्यालय के स्तर से विडियो कॉन्फ्रेंसिंग का कक्ष एवं अन्य आयोजित बैठकों का आयोजित किया जाता है।</p>



**LAYOUT PROJECT - 2**  
**AREA 1114.96 SQ.M.**

- भूतल { 1 - कार्प वाईची का सुविधा सुलभता देण।  
 2 - अरिग ।  
 उभर { 3 - कार्पावाय का ।  
 तल { 4 - का सुविधा का ।



SIGNATURE  
 OF ARCHITECT

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**{ ले-आउट / प्रपत्र 32.4 का विस्तृत विवरण }**  
**परियोजना भाग 03 – ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक का निर्माण**


वाहन चालकों को गुणवत्तापूर्वक एवं पारदर्शी व्यवस्था के अन्तर्गत ड्राइविंग लाइसेंस जारी किये जाने हेतु ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग लेन की नितान्त आवश्यकता है अतः जनपद में पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं होने एवं जनपद की विपन्न भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत कुशल इंजीनियरिंग के माध्यम से कम से कम क्षेत्र में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग लेन की स्थापना की जा रही है।

<p>चौ पहिया वाहन ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक</p> <p>ड्राइविंग टेस्टिंग लेन  <b>{.40 Hactare}</b></p>	<p>चौ पहिया वाहन ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• चालक / सारथी सेवाओं के अन्तर्गत ड्राइविंग लाइसेंस हेतु अभ्यर्थी मैदान / मार्ग पर चालकता परीक्षण पास करना होता है, जिस हेतु ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक में निम्नप्रकार के ट्रैक की व्यवस्था होती है।</li> <li>• <b>स्टार्ट ट्रैक</b>— इस ट्रैक के माध्यम से वाहन चालक के द्वारा वाहन का सही तरीके से स्टार्ट करने तथा सीट बेल्ट के सही प्रकार से प्रयोग करने तथा स्टार्टिंग मिश्रण के ज्ञान का परीक्षण लिया जाता है।</li> <li>• <b>GRADIENT TRACK</b> — इस ट्रैक के माध्यम से वाहन चालक का अप हिल तथा डाउन हिल में चालक का परीक्षण किया जाता है। वाहन चालक के द्वारा हैण्ड ब्रेक एक्सीलेटर, फुट ब्रेक क्लच के इस्तेमाल का परीक्षण किया जाता है।</li> <li>• <b>8 ट्रैक</b> — उक्त ट्रैक के माध्यम से वाहन चालक के बाये एवं दाये स्टेयरिंग एवं सार्प टर्निक का परीक्षण लिया जाता है।</li> <li>• <b>पार्किंग ट्रैक</b> — इस ट्रैक के माध्यम से वाहन चालक के द्वारा वाहन को पार्क करने का परीक्षण लिया जाता है तथा वाहन चालक के न्यूनतम स्थान में वाहन पार्किंग के परीक्षण की परीक्षा ली जाती है।</li> <li>• <b>रिवर्स ट्रैक</b> — इस ट्रैक के माध्यम से वाहन चालकों का वाहन को रिवर्स किये जाने का परीक्षण लिया जाता है।</li> <li>• <b>एकजट ट्रैक</b>— इस ट्रैक के माध्यम से वाहन चालक का रिवर्स में चलने के बाद सही प्रकार से एकजट करने तथा ब्रेक हैण्ड ब्रेक गियर के ज्ञान पर परीक्षण किया जाता है।</li> </ul>
	<p>दो पहिया वाहन ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>8-8-8 ट्रैक</b> — उक्त ट्रैक के माध्यम से वाहन चालक के बाये एवं दाये एवं सार्प टर्निंग तथा ब्रेकिंग का परीक्षण लिया जाता है।</li> </ul> <p>उक्त सम्पूर्ण मार्ग पर सी0सी0टी0वी0 सेन्सर आदि उपकरण स्थापित रहते हैं जो ड्राइविंग सम्बन्धित सम्पूर्ण डाटा को मानिटर कन्ट्रोल रूम में भेजते हैं।</p>
	<p>मॉनिटर रूम</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• उक्त कक्ष के माध्यम से ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक में लगे हुए सेन्सरो तथा कैमरो से निगरानी की व्यवस्था की जाती है एवं उक्त टेस्टिंग ट्रैक में हुई कार्यवाही के आधार पर प्रेषित डाटा के आधार पर परीक्षण में उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण का निर्धारण किया जाता है।</li> </ul>
<p><b>चौपहिया वाहन पार्किंग स्थल का निर्माण—</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• विभिन्न आवेदक वाहन एवं वाहन से सम्बन्धित अन्य महत्वपूर्ण कार्य हेतु अपने वाहन से ही कार्यालय में उपस्थिति होते हैं। अतः विभिन्न कार्यों विशेषतः लाइसेंस टेस्ट, वाहनों की फिटनेस हेतु सभी आवेदकों को आवश्यक रूप से अपने वाहन सहित कार्यालय में उपस्थित होना होता है जिस हेतु पार्किंग की उचित व्यवस्था की जानी होती है।</li> <li>• उक्त के अतिरिक्त कार्यालय स्टाफ हेतु भी वाहनो की पार्किंग हेतु स्थल की आवश्यकता है।</li> <li>• अतः पार्किंग स्थल में स्टॉफ पार्किंग, सार्वजनिक दो पहिया वाहन पार्किंग, सार्वजनिक चौपहिया वाहन की पार्किंग की आवश्यकता होगी।</li> </ul>

- महोदय परियोजना 01 कार्यालय परिसर तथा परियोजना 02 टैफिक अवेयरनेस सेन्टर का निर्माण कार्यालय की उपर्युक्त वर्णित आवश्यकता के अनुसार किया जाना है। उक्त दोनों परियोजनाएं कुल 0.34 है० भूमि पर निर्मित की जानी है।
- माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के निदेशों के अनुपालन में मुख्यालय कार्यालय द्वारा उनके पत्रांक 5345/नियोजन /13-113 /2017 दिनांक 26-08-2017 से प्रारम्भ करते हुए अपने विभिन्न पत्रों द्वारा जनपद बागेश्वर में ड्राईविंग लाईसेंस आवेदकों के परीक्षण के लिए मैदान पर ऑटोमेटेड ड्राईविंग टैस्टिंग ट्रैक हेतु लगभग 4000 वर्ग मीटर भूमि चयन हेतु निर्देशित किया गया अतः परियोजना के तीसरे भाग के रूप में 0.4 है० भूमि पर ड्राईविंग टैस्टिंग ट्रैक का निर्माण किया जाना है।
- उपर्युक्तानुसार प्रस्तावित परियोजना के तीनों भागों हेतु कुल 0.74 है० भूमि न्यूनतम एवं अपरिहार्य है।
- जनपद में कोई भी विकल्प /अन्य वैकल्पिक पर्याप्त तथा उचित भूमि उपलब्ध नहीं है।

# PLAN-32.4

REVERSE 'S' TEST



- 1- वापसिया वाहन प्रिदा के ।
- 2- दी पहिया वाहन प्रिदा के ।
- 3- जिनियर / कन्सीलर के ।
- 4- वापसिया वाहनो की वापसिया के प्रिदा के ।

LAYOUT PROJECT - 3  
AREA 4000.00 SQ.M.



SIGNATURE OF ARCHITECT

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 P. S. NAGAR  
 ARCHITECT  
 10/1/2019